Sixteenth Lok Sabha
XIV Session (29/01/2018 to 06/04/2018)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 29 जनवरी, 2018/9 माघ, 1939 (शक)

संख्या 259

अपराह्न 12.21 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.22 बजे

2. राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 29 जनवरी, 2018 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.23 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (खण्ड एक और खण्ड दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी गई।

अपराह्न 12.23 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 1 फरवरी, 2018 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—3809LS(S3)—29-01-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

गुरुवार, 1 फरवरी, 2018/12 माघ, 1939 (शक)

संख्या 260

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य, श्री चिन्तामन नावाशा वांगा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने निम्नलिखित उल्लेख किया:—

''माननीय सदस्यगण, वर्तमान सदस्य का निधन हो जाने की दशा में, विद्यमान प्रथा के अनुसार, सदस्य की मृत्यु के बारे में सभा में निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् किसी अन्य कार्य को किए बिना सभा सम्मान स्वरूप पूरे दिन के लिए स्थगित हो जाती है।

इस प्रथा को ध्यान में रखते हुए मैंने सभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी होती, तथापि वित्तीय वर्ष 2018-19 का केन्द्रीय बजट, जैसाकि आप भली-भांति जानते हैं, एक सांविधानिक बाध्यता है, प्रस्तुत करने के लिए आज की बैठक माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से निर्धारित की गई है।

अत: इस स्थिति के असाधारण होने के कारण, सभा वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने की दिशा में बढ़ सकती है। तथापि, दिवंगत आत्मा के सम्मान में, सभा की बैठक कल अर्थात् 2 फरवरी, 2018 को नहीं होगी।''

पूर्वाह्न 11.03 बजे

3. केन्द्रीय बजट—2018-2019

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2018-2019 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.50 बजे

4. राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

श्री अरुण जेटली ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(1) वृहत-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(2) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(3) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

5. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

वित्त विधेयक, 2018

अपराह्न 12.52 बजे

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

*श्री अनन्त कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का 50वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.52 बजे

(लोक सभा सोमवार, 5 फरवरी, 2018 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

*संसदीय कार्य मंत्री।

MGIPMRND—3912LS(S3)—01-02-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 5 फरवरी, 2018/16 माघ, 1939 (शक)

संख्या 261

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपने स्थान ग्रहण किए:—

क्रम सं॰	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	डॉ॰ करन सिंह यादव	अलवर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
2.	श्री रघु शर्मा	अजमेर	राजस्थान	शपथ	हिन्दी
3.	श्रीमती सजदा अहमद	उलुबेरिया	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य, श्री हुकुम सिंह के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

3. प्रश्न

(i) निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 21—40 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(ii) चूंकि शुक्रवार, 2 फरवरी, 2018 के लिए निर्धारित लोक सभा की बैठक रद्द की गई थी इसीलिए उस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न सं॰ 1—20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 6 फरवरी, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—3985LS(S3)—05-02-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 6 फरवरी, 2018/17 माघ, 1939 (शक)

संख्या 262

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने भारत के दौरे पर आए चिली गणराज्य के चैम्बर आफॅ डिप्टीज़ के प्रेज़ीडेन्ट महामहिम श्री फिडल स्पीनोजा तथा चिली गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए माननीय अतिथियों के रूप में इसकी घोषणा की।

पूर्वाहन 11.02 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने, 19 वर्ष से कम आयु वाली भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा 3 फरवरी, 2018 को न्यूजीलैंड में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में फाइनल मैच में आस्ट्रेलिया को हराकर चौथी बार विश्व कप जीतने पर सभा की ओर से बधाई दी।

पूर्वाहन 11.05 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 *बजे स्थगित हुई और*
पूर्वाहन 11.20 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

पूर्वाहन 11.20 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 42—44 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 45—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—531, 533—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2018-2019 के लिए गृह मंत्रालय (खंड-एक) की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2018-2019 के लिए गृह मंत्रालय (खंड-दो) (संघ राज्यक्षेत्र) की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4065(अ), जो 26 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2018-2019 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2018-2019 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2018-2019 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वर्ष 2018–2019 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) वर्ष 2018–2019 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दसवां संशोधन) आदेश, 2017, जो 28 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4082(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(12) (एक) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2014–2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 से 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 से 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल्स, पैरामेडिकल स्टाफ, समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद, भर्ती नियम, 2017, जो 25 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 389 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (छठा संशोधन) नियम, 2017, जो 20 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1525(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 27 की उपधारा (1) के अंतर्गत फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान के पहले परिनियम, जो

25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 63(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) जम्मू एंड कश्मीर होर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1997-1998 से 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एंड कश्मीर होर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1997-1998 से 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2016-2017 के लेखापरीक्षित लेखाओं के *शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*लेखापरीक्षित लेखे 05.01.2018 को सभा पटल पर रखे गए।

.(30) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 24/2018-सी॰शु॰ जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय तत्काल प्रभाव से और बिना किसी अंतिम तारीख के चीनी (कच्ची चीनी, परिशोधित अथवा सफेद चीनी, कच्ची चीनी यदि बड़े पैमाने पर ग्राहक द्वारा आयातित की गई) टैरिफ शीर्ष 1701 के अंतर्गत चीनी के आयात शुल्क को वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक किये जाने संबंधी दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 50/2017-सी॰शु॰ में और संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

.(31) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 25/2018-सी॰शु॰ जो 6 फरवरी, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 0713 20 00 के अंतर्गत आने वाला चना (चिकपी) पर बीसीडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

6. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 18 दिसम्बर, 2017 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 16वीं लोक सभा के 13वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखे:—

(1) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2017;

(2) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018;

(3) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018;

(4) माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017;

(5) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2018; और

(6) विनियोग विधेयक, 2018;

.अपराह्न 4.36 बजे।

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

(1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017;

(2) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017;

(3) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2017;

(4) निरसन और संशोधन विधेयक, 2017;

(5) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017;

(6) निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017; और

(7) भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017।

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय–एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम रूप से की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सीमाओं पर घुसपैठ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ समन्यव तंत्र और सड़क हवाई और रेल के माध्यम से सीमा संपर्क सहित खतरे की आशंका और बलों की तैयारी के संबंध में 22वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015–16) का 10वां प्रतिवेदन।

(2) 'थलसेना के संबंध में वर्ष 2014–15 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (मांग सं॰ 22)' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015–16) का 11वां प्रतिवेदन।

(3) 'आयुध निर्माणियां और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के संबंध में वर्ष 2014–15 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (मांग सं॰ 25 और 26) के बारे में रक्षा

संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(4) 'आयुध निर्माणियां और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के संबंध में, वर्ष 2015-16 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (मांग सं॰ 26 और 27) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(5) 'थल सेना के संबंध में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16)(मांग सं॰ 23)' के बारे में रक्षा संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 18वां प्रतिवेदन।

(6) 'थल सेना, नौसेना और वायु सेना के संबंध में वर्ष 2016-17 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (मांग सं॰ 22)' के बारे में 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 25वां प्रतिवेदन।

(7) 'आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, महागुणता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर के संबंध में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) (मांग सं॰ 20)' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 26वां प्रतिवदेन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारित विभाग, सामाजिक न्याय अैर अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

9. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2018 से शुरू होने वाली और

30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2018 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2018 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री शान्ता कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2018 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री शान्ता कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2018 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट

करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2018 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2018 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री कलराज मिश्र ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, राज्य सभा से क्रमश: श्री शरद यादव की 4 दिसंबर, 2017 से निरर्हता के कारण तथा श्री सी॰पी॰ नारायण के 1 जुलाई, 2018 को अवकाश ग्रहण करने से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर उनके स्थान पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के दो सदस्यों को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. प्रस्ताव

*श्री अनंत कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 1 फरवरी, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.18 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा कृषकों हेतु एक व्यापक कृषि नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के शेरघाटी-ईमामगंज-सलैया राज्य राजमार्ग तथा झारखंड के तरहंसी-डाल्टनगंज राज्य राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने एवं इनको राष्ट्रीय राजामार्ग के रूप में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकताओं को प्रदत्त मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित खेरवाड़ा तहसील मुख्यालय में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध उत्पीड़न/अपराध के बारे में।

(6) श्री गणेश सिंह द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकायों में आरक्षण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा सरदार सरोवर बांध से गुजरात में नर्मदा नदी में पर्याप्त जल छोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*संसदीय कार्य मंत्री।

(8) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में होम गार्ड्स की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने की आवश्यश्कता के बारे में।

(9) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम में सभी परिवारों को पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली में पिछड़े वर्गों के शोधकर्ताओं को वरिष्ठ उद्ययेतावृत्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ किरिट सोमैया द्वारा मुम्बई विमानपत्तन पर उड़ानों के संचालन में हो रहे विलम्ब के बारे में।

(12) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश में संत कबीर की जन्म स्थली मगहर के विकास में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के रोहतास जिले में सोलर पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एम॰ के॰ राघवन द्वारा केरल स्थित कोझिकोड विमानपत्तन पर हज यात्रियों के विमान में चढ़ने के स्थान को फिर से बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा काजू प्रसंस्करण ईकाइयों में कार्यरत कामगारों के समक्ष चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के बारे में।

(17) राजीव सातव द्वारा महाराष्ट्र में गुलाबी कीट (पिंक बॉल वार्म) के आक्रमण के कारण फसलों का नुकसान झेलने वाले कपास उत्पादकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) आर॰ गोपालकृष्णन द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) पी॰ आर॰ सेनथिलनाथन द्वारा तमिलनाडु में मदूरै के निकट कीझाडी में पुरातात्विक उत्खननों हेतु 20 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह द्वारा नवोदय विद्यालयों में शुल्क वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री अरविंद सावंत द्वारा मुम्बई स्थित सेंट्रल कॉटेज इम्पोरियम को नए स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री जैदेव गल्ला द्वारा अमरावती–अनन्तपुर एक्सप्रेस–वे परियोजना के बारे में।

(23) श्री वाई॰ एस॰ अविनाश रेड्डी द्वारा आन्ध्र प्रदेश के फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 2015–16 बैच के एमबीबीएस छात्रों को अन्य चिकित्सा विद्यालयों में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्रीमती पी॰ के॰ श्रीमथि टीचर द्वारा केरल के कन्नूर जिले में सर्वशिक्षा अभियान परियोजना हेतु केन्द्र के हिस्से की बकाया राशि को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा के लाभार्थ बीएमएल बरवाला लिंक नहर में प्रस्तावित सुधार को कार्य रूप दिए जाने के बारे में।

(26) कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम रानीगंज रेलवे स्टेशन करने तथा यहां यात्री सुविधाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा पंजाब में जंगली पशुओं द्वारा कृषि फसलों को नुकसान से बचाने एवं संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में कोल्लम रेलवे स्टेशन पर दूसरे टर्मिनल के निर्माण कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.19 बजे

13. सदस्यों द्वारा निवेदन

आंध्र प्रदेश राज्य के सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के उपबंधों का क्रियान्वयन न किए जाने संबंधी मामला उठाया।

* श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

** श्री अरूण जेटली ने भी उत्तर दिया।

---

*संसदीय कार्य मंत्री।

**अपराह्न 4.43 बजे, वित्त मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री।

अपराह्न 12.23 बजे

आबंटित समय : 10 घंटे
लिया गया समय : 9 घंटे 10 मिनट
शेष : 50 मिनट

14. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री राकेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 29 जनवरी, 2018 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और अपने विचार रखे।

अपराह्न 2.26 बजे

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि अपने संशोधनों को पेश करने के इच्छुक हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई जाएगी जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही पेश किया माना जाएगा, जिनके संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हो गई हैं।

पेश किए गए माने गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची इसके तत्काल पश्चात् सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाएं।''

तीन सौ पचहत्तर (1-199, 201-244, 266-291, 301, 302, 305-308, 310-318, 371-435, 496, 557-563, 568-585) संशोधन पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

#1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.32 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.47 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.55 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.31 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

2. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

*3. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

*4. डॉ॰ के॰ कामराज

*5. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

*6. श्री मुलायम सिंह यादव

*7. श्री डी॰के॰ सुरेश

*8. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

*9. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

*10. श्री गणेश सिंह

*11. श्री रामेश्वर तेली

*12. मोहम्मद असरारुल हक

*13. श्री हरिओम सिंह राठौड़

*14. श्री धनंजय महाडीक

*15. श्री निनोंग इरिंग

*16. श्री दद्दन मिश्रा

*17. श्रीमती सुप्रिया सुले

*18. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़

*19. श्री गोपाल शेट्टी

#सभा के पुन: समवेत होने के पश्चात् उन्होंने भी अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*20. श्री अश्विनी कुमार

*21. डॉ॰ थोकचोम मेन्या

*22. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

*23. श्री जोस के॰ मणि

*24. डॉ॰ पी॰के॰ बीजू

*25. श्री राजीव सातव

*26. श्री सत्यपाल सिंह

*27. डॉ॰ रत्ना डे (नाग)

*28. श्री कल्याण बनर्जी

*29. श्री पी॰ करुणाकरन

*30. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

*31. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

*32. श्री भर्तृहरि महताब

*33. श्रीमती वी॰ सत्यबामा

*34. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू

*35. श्री के॰ अशोक कुमार

*36. श्री आनन्दराव अडसुल

*37. डॉ॰ करण सिंह यादव

*38. डॉ॰ रघु शर्मा

*39. श्रीमती कोथापल्ली गीता

*40. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी

*41. श्री एस॰पी॰ महानुद्दमे गोड़ा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*42. श्री जितेन्द्र चौधरी

43. श्री बी॰ विनोद कुमार

*44. श्रीमती अंजू बाला

*45. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*46. श्री विष्णु दयाल राम

*47. श्री विनायक भाऊराव राऊत

48. मोहम्मद सलीम

*49. श्री पी॰आर॰ सुन्दरम

*50. श्री राघव लखनपाल

*51. श्री निशिकान्त दुबे

*52. श्रीमती रीति पाठक

53. श्री थोटा नरसिम्हम

*54. श्री पी॰वी॰ मिदून रेड्डी

*55. श्री रमेन डेका

56. श्री तारिक अनवर

*57. श्रीमती ज्योति धुर्वे

*58. एडवोकेट जोएस जॉर्ज

59. श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया

60. डॉ॰ संजय जायसवाल

61. श्री सी॰ महेन्द्रन

62. कुमारी सुष्मिता देव

63. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*64. श्री जी॰ हरि

*65. श्री रक्षा निखिल खाडसे

*66. श्री शरद त्रिपाठी

67. श्री ए॰ अनवर राजा

*68. डॉ॰ हिना गावीत

*69. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

*70. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील

*71. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सवाईकर

72. श्री भगवंत मान

73. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

74. श्री ओम बिरला

*75. डॉ॰ कुलमणि सामल

*76. डॉ॰ ए॰ सम्पत

*77. श्री सी॰एन॰ जयदेवन

*78. श्री विनोद सोनकर

79. श्री राधेश्याम बिश्वास

*80. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक

81. श्री पी॰के॰ कुनहलिकुट्टी

82. श्री दुष्यंत चौटाला

*83. श्री जुगल किशोर शर्मा

84. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*85. श्रीमती वीणा देवी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

86. श्री टी॰ राधाकृष्णन

87. श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार

*88. श्री एंटो एन्टोनी

89. श्री जगदम्बिका पाल

90. श्री असादुद्दीन ओवैसी

*91. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

92. श्रीमती रमा देवी

93. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

94. श्री रमेश विधूड़ी

95. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव

96. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा

97. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

98. श्री आर॰के॰ भारती मोहन

99. श्री राम कुमार शर्मा

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

रात्रि 10.26 बजे

(*लोक सभा बुधवार, 7 फरवरी,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

MGIPMRND—4049LS(S3)—06-02-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 7 फरवरी, 2018/18 माघ, 1939 (शक)

संख्या 263

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61—65 के मौखिक उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 66—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2018-2019 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2018-2019 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2018–2019 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2018–2019 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2018–2019 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2018–2019 के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2018–2019 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2018–2019 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(6) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अंतर्संबंध विनियम, 2018 (2018 का 1) जो 1 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाइल सं॰ 10–10/2016–बीबीएंडपीए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) वर्ष 2018–2019 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) वर्ष 2018–2019 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) एम्स अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों पर आधारित अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन।

(2) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में समिति का की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

6. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल और प्राकृतिक गैस निगम में

---

* इन प्रतिवेदनों को लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 14 दिसंबर, 2017 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 280 के अंतर्गत उसके मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया। मामले को दिनांक 28 दिसंबर, 2017 के लोक सभा समाचार भाग-दो के माध्यम से विधिवत अधिसूचित किया गया।

नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों' के बारे में 9वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों/योजनाओं के लिए अधिक बजटीय आवंटनों की आवश्यकता' के बारे में 10वां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय खाद्य निगम में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों' के बारे में 11वां प्रतिवेदन।

7. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री गणेश सिंह ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाए विभाग) से संबंधित 'भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियोजन में आरक्षण और कल्याणकारी उपाय' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय तेल निगम लिमिटेड में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.05 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड में नई टिहरी नगर में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सुखबीर सिंह जौनापुनिया द्वारा टोंक-सवाई माधेपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दयोदय एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12181-82) एवं जयपुर-इंदौर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12973-74) का ठहराव ईसरदा रेलवे स्टेशन पर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में दूध को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ भागीरथ प्रसाद द्वारा मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में बांस की खेती के बारे में।

(5) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 19, 28, 28 बी को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा देश में अंग दान के बारे में।

(7) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा एक केन्द्रीय दल भेजकर झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की नदियों में प्रदूषण की जांच कर रिपोर्ट प्राप्त करने और इस संबंध में आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम खेरी, तहसील कोंच में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक गैस फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा विदर्भ गहन सिंचाई विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को शेष राशि जारी किए जाने और निधियों के उपयोग की समय सीमा को 2019-20 तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा देवी रुक्मणि की प्राचीन मूर्ति को मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित पुरातत्व संग्रहालय से मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले के दमयंती पुरातत्व विभाग संग्रहालय में स्थानांतरित कर सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री निहाल चन्द द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिन किसानों की जमीन कंटीली तारों के नीचे आई है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री अजय निषाद द्वारा तिरहुत नहर के दूसरे फेज के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन कराए जाने और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बिहार सरकार को राज़ी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ संजय जायसवाल द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत निःशुल्क सेवाएं देने वाले गैर–सरकारी चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिन किसानों की जमीनें कंटीली तार के उस पार हैं, उन्हें इस के बदले अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराज नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बागवानी फसलों के लिए एक इंटिग्रेटिड बायो सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री डी॰के॰ सुरेश द्वारा कर्नाटक में विद्युत संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति के बारे में।

(18) श्री के॰ अशोक कुमार द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में कमलेश चन्द्रा समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री के॰एन॰ रामचन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेल परियोजनाओं पर कार्य को तीव्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा में पुरी और पारादीप के बीच चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम आदिकवि सरला दास सुपरफास्ट एक्सप्रेस रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संभाजीनगर में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री भीमराव बी॰ पाटील द्वारा तेलंगाना के जहीराबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित मदनूर में राष्ट्रीय राजमार्ग 161 पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री शैलेश कुमार द्वारा बिहार में मुस्लिम समुदाय की मड़रिया जाति को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय को कोलकाता से झारखंड स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) एडवोकेट जोएस जार्ज द्वारा केरल में अंगमाली सबरी रेलवे लाइन परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.12 बजे

9. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — स्वीकृत

लिया गया समय : 10 घंटे 43 मिनट

श्री राकेश सिंह द्वारा 6 फरवरी, 2018 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

'कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

''कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 29 जनवरी, 2018 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. डॉ॰ जयकुमार जयवर्धन
2. श्री राम टहल चौधरी
3. श्री मोहम्मद बदरूद्दोज़ा खान
4. श्रीमती देव (मुनमुन सेन) वर्मा
5. श्री रंजनबेन भट्ट
6. श्री अजय मिश्रा टेनी
7. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी
8. श्री सुनील कुमार सिंह
9. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
10. श्रीमती हेमामालिनी
11. श्री नारणभाई काछड़िया
12. श्री संजय धोत्रे

13. श्रीमती दर्शना जरदोश
14. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा
15. श्री रामसिंह राठवा
16. श्री छोटेलाल
17. श्री विजय कुमार एस॰आर॰
18. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
19. श्री देवजी एम॰ पटेल
20. श्री बी॰एन॰ चद्रप्पा
21. डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल
22. प्रो॰ चिंतामणि मालवीय
23. श्री राहुल कस्वां
24. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया

श्री नरेन्द्र मोदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी संशोधनों, जिन्हें पेश किया गया था, पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.46 बजे

10. सांविधिक संकल्प—स्वीकृत

श्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (एक) के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा 6 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं॰ 25/2018-सी॰शु॰ का अनुमोदन करती है जिसका आशय-सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की टैरिफ मद 0713 20 00 के अंतर्गत आने वाले चने (चिक्पी) पर मूलभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना है।''

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.47 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.02 बजे पुन:समवेत हुई।)

अपराह्न 3.02 बजे

11. केन्द्रीय बजट—2018-2019

आबंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 5 घंटे 58 मिनट
शेष : 6 घंटे 02 मिनट

वर्ष 2018-2019 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली
2. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक'
3. श्री एस॰आर॰ विजय कुमार
*4. श्री इदरिस अली
*5. श्री रामसिंह राठवा
*6. श्री नारणभाई कछाड़िया
*7. श्री रामेश्वर तेली
8. प्रो॰ सौगत राय
*9. श्री जोस के॰ मणि
10. श्री राम टहल चौधरी
11. श्रीमती कोथापल्ली गीता
12. श्री तथागत सत्पथी
*13. श्री पी॰के॰ बीजू
14. श्री शिवाजी अधलराव पाटील
*15. श्री पी॰आर॰ सुन्दरम
16. श्री जैदेव गल्ला
17. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

18. श्री पी॰ करुणाकरन

*19. श्रीमती अंजू बाला

*20. श्रीमती रेणुका बुत्ता

21. श्रीमती सुप्रिया सुले

*22. प्रो॰ रिचर्ड हे

23. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

*24. डॉ॰ ए॰ संपत

25. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

26. डॉ॰ किरीट सोमैया

*27. श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील

28. श्री के॰ एन॰ रामचन्द्रन

*29. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़

*30. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

*31. श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी

32. श्री गणेश सिंह (भाषण अपूर्ण रहा)।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

रात्रि 9.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 8 फरवरी, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

MGIPMRND—4060LS(S3)—07-02-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 8 फरवरी, 2018/19 माघ, 1939 (शक)

संख्या 264

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय तथा तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री रघुनाथ झा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में, सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 82 के मौखिक उत्तर दिये गये।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.29 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.45 *बजे पुनः समवेत हुई*)

तारांकित प्रश्न संख्या 83 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 84—100 उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2018-2019 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2018-2019 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2018-2019 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2018-2019 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2018-2019 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2018-2019 के लिए रक्षा सेवाएं प्राक्कलन।

(6) वर्ष 2018-2019 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2018-2019 के लिए आयुष मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2018-2019 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रेस परिषद (संशोधन) नियम, 2018, जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 43(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वर्ष 2018-2019 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-घारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) वर्ष 2018-2019 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) वर्ष 2018-2019 के लिए पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) वर्ष 2018-2019 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) वर्ष 2018-2019 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) वर्ष 2018-2019 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) वर्ष 2018-2019 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) वर्ष 2018-2019 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) वर्ष 2018-2019 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री शांता कुमार ने 'वर्ष 2015 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 12 के आधार पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

***6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

श्री वीरेन्द्र सिंह ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2017-2018) का 18वां और 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. लाभ के पदों संबंधी स्थायी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

श्री कलराज मिश्र ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 24वां, 25वां और 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ शशि थरूर ने वर्ष 2017-18 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण

डॉ॰ शशि थरूर ने 'कैडर के लिए संघ लोक सेवा आयोग की पृथक परीक्षा, कैरियर-मध्य प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा प्रबोधन की आवश्यकता सहित भारतीय विदेश सेवा कैडर की भर्ती 'संरचना और क्षमता-निर्माण' विषय पर 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले

---

*अपराह्न 12.57 बजे ।

विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाश गया, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा हस्तशिल्प व हथकरघा उद्योग को माल एवं सेवा कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रामदास सी॰ तड़स द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के प्रत्येक तहसील मुख्यालय में बीमा कंपनियों द्वारा सहायता कक्ष और कार्यालय की स्थापना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा देश में सचल मृदा जांच केन्द्र आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा देश की जेलों में सजा पूरी होने के बाद भी कैद बंदियों की रिहाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के विरासत भवनों का जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में अन्ना प्रथा पशुओं के लिए गौशालाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान के कोटा शहर में आईआईटी, आईआईआईटी और एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा सीमा पार से गोलीबारी के कारण जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों से पलायन करने वाले सीमावर्ती जिलों के निवासियों को आवासीय प्लाट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री बी॰ एन॰ चन्द्रप्पा द्वारा कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को एनडीआरएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस द्वारा केरल में 'ओखी' चक्रवात से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री एम॰आई॰ शनवास द्वारा उत्तर केरल में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाए जाने के कारण लोगों को हो रही समस्याओं के बारे में।

(12) श्री सी॰ महेंद्रन द्वारा तमिलनाडु में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि जारी किए जाने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा ओडिशा में डॉप्लर मौसम रडार स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा रेलवे में स्टोर-खलासी के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति दिए जाने और उन्हें बेहतर पदोन्नति के अवसर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री केसिनेनी श्रीनिवास द्वारा आन्ध्र प्रदेश के कोंडापल्ली रेलवे स्टेशन पर कतिपय रेलगाड़ियों को ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम में प्रकाशित एनआरसी पार्ट ड्राफ्ट में विसंगतियों के बारे में।

(17) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा देश में किसानों की दशा में सुधार के लिए एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री राजू शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

11. केन्द्रीय बजट—2018-2019

लिया गया समय: 12 घंटे 13 मिनट

वर्ष 2018-2019 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गणेश सिंह (अपना भाषण आगे प्रारंभ किया)

*2. श्रीमती रंजनबेन भट्ट

*3. श्री हरिओम सिंह राठौड़

*4. श्रीमती दर्शना जरदोश

*5. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*6. श्री पी॰ कुमार

*7. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*8. श्री ए॰ अरुणमणिदेवन

*9. श्री सी॰ महेंद्रन

*10. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबू

*11. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

*12. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

*13. श्री राजकुमार सैनी

*14. श्री जी॰ हरि

*15. श्री लड्डू किशोर स्वाइँ

*16. श्री एंटो एन्टोनी

*17. श्री इदरिस अली

18. श्री बाई॰एस॰ चौधरी

19. श्री दिनेश त्रिवेदी

*20. श्री बलभद्र माझी

21. श्री राजन विचारे

22. डॉ॰ जे॰ जयवर्धन

*23. श्री राम मोहन नायडू किंजरापू

*24. श्री नलिन कुमार कटील

*25. श्रीमुल्लापल्ली रामचन्द्रन

26. श्री विनोद कुमार सोनकर

*27. श्रीमती ज्योति धुर्वे

*28. श्री रघु शर्मा

*29. एडवोकेट जोएस जॉर्ज

*30. श्री जनार्दन मिश्र

*31. डॉ॰ कृष्ण प्रताप सिंह

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

32. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

*33. डॉ० श्रीकांत शिंदे

*34. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

*35. डॉ० हिना विजयकुमार गावीत

36. श्री अभिषेक सिंह

37. श्री तेज प्रताप सिंह यादव

*38. श्री पी०सी० गद्दीगौदर

39. श्री शरद त्रिपाठी

*40. श्रीमती के० मरगथम

*41. श्री धनंजय महाडीक

*42. श्री प्रहलाद सिंह पटेल

43. मौलाना बदरुद्दीन अज़मल

44. श्री रत्न लाल कटारिया

*45. श्री एम० मुरली मोहन

*46. श्रीमती वीणा देवी

*47. श्री विष्णु दयाल राम

*48. श्री निशिकान्त दुबे

49. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*50. डॉ० करण सिंह यादव

*51. श्री जनक राम

52. श्रीमती रक्षाताई खाडसे

*53. श्री अधीर रंजन चौधरी

*54. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा

55. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर

*56. श्री मोहम्मद बदरूद्दोज़ा खान

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

57. श्री जे॰ जयसिंह नट्टर्जी
*58. श्री बी॰ विनोद कुमार
59. श्री राजेश रंजन
*60. श्री संजय धोत्रे
*61. डॉ॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी
62. डॉ॰ बंशीलाल महतो
63. श्री राम कुमार शर्मा
*64. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया
*65. श्री अर्का केशरी देव
*66. श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी
*67. श्री केसिनेनी नानी
*68. श्री के॰ अशोक कुमार
*69. डॉ॰ थोकचोम मेन्या
*70. डॉ॰ भोला सिंह
*71. श्री सुशील कुमार सिंह
72. श्री उदय प्रताप सिंह
73. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
74. श्री लखन लाल साहू
*75. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज़ संघमिता
76. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
*77. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी
*78. श्रीमती रीती पाठक
*79. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
80. श्री दद्दन मिश्रा
*81. श्री तारिक अनवर
82. श्री भगवंत मान
*83. डॉ॰ यशवन्त सिंह

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*84. श्री वी॰ एलुमलाई

85. श्री अजय मिश्रा टेनी

*86. श्री राकेश सिंह

*87. डॉ॰ कुलमणि सामल

88. श्री दुष्यंत चौटाला

*89. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण

90. डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय

*91. श्री बहादुर सिंह कोली

*92. श्री ए॰पी॰ नागराजन

93. श्री विजय कुमार हांसदाक

94. श्री सी॰एन॰ जयदेवन

95. श्रीमती कविता कलवकुंतला

*96. श्री रामचरण बोहरा

*97. श्री ओम बिरला

*98. श्री लल्लू सिंह

*99. श्री भानू प्रताप सिंह वर्मा

100. श्री प्रेम दास राई

*101. श्री डी॰के॰ सुरेश

102. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

103. श्री राजू शेट्टी

*104. श्री विद्युत वरण महतो

*105. श्री वी॰ सत्यबामा

106. श्री सुनील कुमार जाखड़

*107. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

*108. श्रीमती प्रियंका सिंह रावत

*109. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*110. श्री हरि मांझी

*111. श्री बी॰एन॰ चन्द्रपा

*112. श्री राहुल कस्वां

*113. श्रीमती पूनमबेन माडम

114. श्री रविन्द्र कुमार

*115. श्रीमती कमला देवी पाटले

*116. श्रीमती रमा देवी

*117. श्री निहाल चंद चौहान

*118. श्री सुनील कुमार सिंह

*119. श्री देवजी एम॰ पटेल

*120. श्री जुगल किशोर

*121. श्री जगदम्बिका पाल

*122. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

*123. श्री धर्मवीर

*124. श्रीमती आर॰ वनरोजा

*125. श्रीमती राम चरित्र निषाद

*126. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

सायं 6.21 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

MGIPMRND—4094LS(S3)—08-02-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक)

संख्या 265

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.01 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 102—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2018-2019 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2018-2019 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2018-2019 के लिए इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 124 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 07(अ) जो 2 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 7 जुलाई, 2018 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय, संवितरण का विनियमन तथा अनाचार का निवारण) संशोधन आदेश, 2017 जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 728(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वर्ष 2018-2019 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2018-2019 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2018-2019 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(16) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर आर्निथोलाजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेंटर फॉर आर्निथोलाजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) वर्ष 2018–2019 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

(एक) वर्ष 2018–2019 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2018–2019 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(19) वर्ष 2018–2019 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) वर्ष 2018–2019 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेक्यूरिटी प्रिटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेक्यूरिटी प्रिटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016–2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2018-2019 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2018-2019 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(24) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 28 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1588(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इंश्यूरेंस वेब एग्रीगेटर्स) विनियम, 2017 जो 25 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआईरेग/4/141/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इंश्यूरेंस सर्वेयर्स एंड लास ऐससर्स) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई/रेग०/7/144/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(30) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा०का०नि० 47(अ) जो 20 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिसंबर, 2017 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी भरने के लिए अंतिम तिथि को 22.01.2018 तक बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 52(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 53(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-1 को विलंब से दाखिल करने की स्थिति में विलंब शुल्क में कमी करना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 54(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-5 को विलंब से दाखिल करने की स्थिति में विलंब शुल्क में कमी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 55(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-5क को विलंब से दाखिल करने की स्थिति में विलंब शुल्क में कमी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 56(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-6 को विलंब से दाखिल करने की स्थिति में विलंब शुल्क में कमी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 57(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-6 में रिटर्न दाखिल करने के लिए तिथि को बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 58(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-वे बिल वेबसाइट अधिसूचित करने के लिए 16 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 4/2017-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 59(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रिफंड का प्रकमण और उसे प्रदान करने के लिए 13 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना सं॰ 391/2017-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 1598(अ) जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार वाले करदाताओं के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 तिमाही तौर पर प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि को बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 1599(अ) जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के सकल कारोबार वाले करदाताओं के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 मासिक तौर पर प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि को बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 1600(अ) जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-4 में रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने पर संदेय विलंब शुल्क माफ करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 1601(अ) जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तिथि, जिससे ई-वे बिल नियम लागू होंगे, को अधिसूचित करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) केन्द्रीय माल और सेवा कर (14वां संशोधन) नियम, 2017 जो 29 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1602(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 02(अ) जो 1 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰8/2017-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(31) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 03(अ) जो 1 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 2/2017 संघ राज्यक्षेत्र कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(32) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3895(अ), जो 15 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) दिनांक 19 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 117/2017-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) दिनांक 19 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 118/2017-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 4105(अ), जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) दिनांक 4 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 01/2018–सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 233(अ), जो 15 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) दिनांक 18 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 06/2018–सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 1579(अ), जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 1580(अ), जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 1608(अ), जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 1609(अ), जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई 2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 14(अ), जो 5 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 15(अ), जो 5 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 22(अ), जो 12 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं को लागू करने के लिए जारी की गई 20 सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन किए गए हैं ताकि धामरा और धिग्गी पत्तनों को उन पत्तनों की सूची में शामिल किया जा सके जहां ऐसी निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत आयात और निर्यात की अनुमति है और यह एक व्यापार सुकर उपाय है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(33) अधिसूचना सं॰सा॰का॰नि॰ 1538(अ), जो 21 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा सनसेट समीक्षा जांच प्रारम्भ किए जाने के मद्देनजर कोरिया जनवादी गणराज्य, चीनी ताईपे और इजरायल से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फथालिक एनहाइड्राइड', के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क के उद्‌ग्रहण को एक वर्ष की अवधि तक अर्थात् 23 दिसंबर, 2018 (यदि इसके पहले इसे वापस न लिया जाता है तो) जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(34) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 50(अ) जो 22 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं॰ 89/2017-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 60(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा जिसका आशय रिफंड का प्रक्रमण करने और प्रदान करने के लिए राज्य कर अधिकारियों के क्रॉस–सशक्तीकरण के लिए 13 अक्तबूर, 2017 की अधिसूचना सं॰ 11/2017–एकीकृत कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आइजोल के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आइजोल के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंट्री एजूकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंट्री एजूकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर (नूर सोसाइटी), श्रीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर (नूर सोसाइटी), श्रीनगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफसर और असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो कि 18 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 41(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) वर्ष 2018-2019 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(55) वर्ष 2018-2019 के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) वर्ष 2018-2019 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर (गांधीग्राम इंस्टीटयूट ऑफ रूरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट), डिंडीगुल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर (गांधीग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट), डिंडीगुल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) वर्ष 2018-2019 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2018-2019 के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2018-2019 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(61) (एक) नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी, इंडिया, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी, इंडिया, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) केन्द्रीय झारखंड विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय झारखंड विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोक लेखा समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) 'भारतीय रेल में पुलों का अनुरक्षण' विषय पर 87वां प्रतिवेदन।

(2) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2015-2016) पर आधिक्य' विषय पर 88वां प्रतिवेदन।

(3) 'डाक विभाग द्वारा गैर-अनुपालन' विषय पर 89वां प्रतिवेदन।

5. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 के बारे में 300वां प्रतिवेदन।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में 290वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 301वां प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'भेषज क्षेत्र के लिए कलस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी-पीएस)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.09 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 5 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4122LS(S3)—09-02-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 05 मार्च, 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 266

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी लोक सभा के नामनिर्देशित सदस्य श्री रूडोल्फ रौड्रिग्स; 8वीं लोक सभा के सदस्य श्री कमला प्रसाद सिंह; तेरहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य श्री खगेन दास; तथा दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा की सदस्य कुमारी फरीदा टोपनो के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 122—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2018–2019 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2018–2019 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) फेडरेशन ऑफ इन्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इन्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03 बजे

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति से 10 फरवरी, 2018 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

'29 जनवरी, 2018 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं'।''

अपराह्न 12.04 बजे

7. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि नागालैंड के नागालैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री नेफिउ रिओ ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और अध्यक्ष ने 22 फरवरी, 2018 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.05 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती पूनम महाजन द्वारा अण्डा देने वाली चिकन और ब्रॉयलर मुर्गों के परिवहन और रख-रखाव के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती अंजू बाला द्वारा उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद रेलवे स्टेशन पर रेक प्वाइंट के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री राघव लखनपाल द्वारा उत्तर प्रदेश में तापरी–मुजफ्फरनगर रेल लाईन के शीघ्र दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री गणेश सिंह द्वारा सामाजिक–आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखण्ड में विकास कार्यक्रमों में जिला परिषद्, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें विकास निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखण्ड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे।

(7) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखण्ड के चतरा जिले में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती रीति पाठक द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों, होटलों और लोक सेवा वाले अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नि:शुल्क, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आवश्यक रूप से उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा उत्तराखण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय योग और आयुष अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा आयुध कारखानों में असैन्य उपयोग के लिए अग्न्यास्त्रों का निर्माण रोकने और सैन्य उपयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आग्नेयास्त्र के उत्पादन पर विशेष जोर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा देश की विलुप्त हो रही क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा अपर्याप्त और असमय वर्षा के कारण महाराष्ट्र, विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र के संकटग्रस्त किसानों को राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री एम॰आई॰ शनवास द्वारा केरल में युवकों की हत्या की जांच सीबीआई से कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा केरल के कोझीकोड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर नए पुल के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री के॰ अशोक कुमार द्वारा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री के॰ परसुरमन द्वारा मन्नाई एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन करने के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गोघट में एक उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना के संबंध में।

(18) प्रो॰ सौगत राय द्वारा हाल ही में हुए पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले की सम्पूर्ण जांच की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करने वाले प्रदूषण से संबंधित मुद्दों के समाधान की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा देश में किसानों द्वारा भुगतान की जा रही फसल बीमा किश्तों की भुगतान रसीद प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में टेक्काली एवं पथपतनम रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा देश में बोली जाने वाली भाषाओं संबंधी जनगणना आंकड़े जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले को मरणोपरान्त 'भारत रत्न' प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा पान के पत्ते की फसल को हुई क्षति से पीड़ित बिहार के नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.05 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 06 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4378LS(S3)—05-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 6 मार्च, 2018/15 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 267

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 141—160 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 12.01 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 38 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और पदोन्नति (संशोधन) विनियम, 2017, जो 24 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ ए-12011/1/2017-स्था॰ (खंड-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जनार्दन मिश्र ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्सियकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 49वां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 50वां प्रतिवेदन।

4. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गजानन कीर्तिकर ने रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2017-18) का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2017-2018)' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2017-2018)' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-2018)' के बारे में 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(4) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हरीशचन्द्र मीना ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) नागर विमानन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 257वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 258वां प्रतिवेदन।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 259वां प्रतिवेदन।

(4) पोत परिवहन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 260वां प्रतिवेदन।

(5) पर्यटन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में 261वां प्रतिवेदन।

7. प्रस्ताव

श्री अनंत कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 5 मार्च, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 51वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री भरत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों को प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए समय पर उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हरीश मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह द्वारा कानपुर और सागर तथा घाटमपुर और जहानाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 91 को छह लेन में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान में करौली जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा आंगनबाड़ी सेवकों और सहायकों को किए जाने वाले भुगतान में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जुगल किशोर द्वारा सीमा पार से गोलाबारी के कारण अपने घर छोड़ने पर मजबूर जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों के निवासियों को प्लॉट आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा उद्यमिता विकास के लिए अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ बैंक गठित किए जाने के बारे में।

(8) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा देश में आंगनबाड़ी कामगारों को मानदेय भुगतान की दर में बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम में 'राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय' के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान के कोटा शहर में आईआईटी, आईआईआईटी और एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) कर्नल (सेवा निवृत्त) सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान में और अन्य राज्यों में जहां कि भौगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु मानदण्ड में ढील दिए जाने तथा इन विद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ उदित राज द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के बारे में।

(13) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री गौरव गोगोई द्वारा असम में अपहरण एवं हत्या की घटनाओं में तथाकथित बढ़ोत्तरी के बारे में।

(16) श्री राजीव सातव द्वारा महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल टावर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध तथाकथित रूप से बढ़ते उत्पीड़न के बारे में ।

(18) श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु में त्रिची शहर में सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्रीमती के॰ मरगथम द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अत्याधुनिक वृहत् विद्युत परियोजना की स्थापना के बारे में।

(20) श्री सुनील कुमार मण्डल द्वारा देश में भूमिगत जल के अंधाधुंध उपयोग को रोकने और नदियों को आपस में जोड़ने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा में महानदी डेल्टा में मैनग्रोव जंगलों तथा देवी-कदुआ नदमुख स्थलों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची में 'धांगड़' जाति के लोगों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड द्वारा तेलंगाना में एम्स की स्थापना हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 66 के वडक्कनचेरी-मन्नुथी हिस्से के दोनों तरफ रह रहे लोगों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में रमायापत्तनम में एक बड़ा बंदरगाह स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा पंजाब में एसएएस नगर मोहाली स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में एडापल्लीकोट्टा, कोल्लम स्थित एचपीसीएल के कब्जे वाली भूमि के उचित उपयोग के बारे में ।

अपराह्न 12.12 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 07 मार्च, 2018 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4426LS(S3)—06-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 7 मार्च, 2018/16 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 268

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

तारांकित प्रश्न संख्या 162—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (14वां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 2) जो 12 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 10-8/2016-बीबीएंडपीए में प्रकाशित हुए थे।

(2) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट अंतरण प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 3) जो 31 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 15-01/2016-एफएंडईए में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक महानिदेशक और तटरक्षक अपर महानिदेशक तटरक्षक, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2017, जो 30 दिसम्बर, 2017 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 104 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का 52वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 40वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'विद्युत केन्द्रों की भूमिका, निष्पादन और कार्यकरण का मूल्यांकन' के बारे में 14वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की मांगों के बारे में 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(3) 'जल विद्युत-एक सतत, स्वच्छ और हरित विकल्प' के बारे में 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(4) 'राष्ट्रीय विद्युत नीति-एक समीक्षा' के बारे में 30वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(5) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों के बारे में 16वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(6) 'भारत में सुगम्य ऊर्जा वर्तमान स्थिति की समीक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका' के बारे में 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(7) 'विद्युत क्षेत्र में हानिकारक/गैर-निष्पादनकारी आस्तियां' के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

7. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री आनंदराव अडसुल ने मराठी को श्रेण्य भाषा घोषित करने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र सहयोजित हुए।

*श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा जबलपुर और अन्य नगरों में ग्राहकों द्वारा जमा कराए जाने वाले विभिन्न मूल्यों के सिक्कों को स्वीकार किए जाने हेतु बैंकों को निदेश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*गृह मंत्री

(2) श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य को कम या समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एफ॰एम॰ रेडियो स्टेशनों को बंद किए जाने के प्रयास को अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राम टहल चौधरी द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को दी जाने वाली मानदेय की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंदाकिनी नदी को प्रदूषण-मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रमेन डेका द्वारा असम के 'कलिता' समुदाय को जनजातीय दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा ने कर्नाटक के तुमकुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पर्यटन के विकास के बारे में।

(9) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वन क्षेत्र को खर-पतवार मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री वी॰ एलुमलाई द्वारा तमिलनाडु के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 पर चल रहे विकास कार्यों को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री एस॰आर॰ विजय कुमार द्वारा तमिलनाडु के चेन्नै सेंट्रल और एगमोर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने के बारे में।

(12) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के लिए धनराशि का केन्द्र सरकार का हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री अरविंद सावंत द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं की सेवाओं को समूह 'ग' या 'घ' कर्मचारी के रूप में नियमित किए जाने तथा उन्हें भुगतान की जाने वाली देय राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कोलकाता से झारखण्ड स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा काली मिर्च के आयात को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री राजू शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र में ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से नुकसान झेलने वाले किसानों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरूवार, 08 मार्च, 2018 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4470LS(S3)—07-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 8 मार्च, 2018/17 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 269

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 182–200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071–2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2018-2019 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 403(अ) जो दिनांक 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से प्रतिस्थापित करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-I में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पवन हंस लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केरल लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) का॰आ॰ 242(अ) जो 16 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (जैसलमेर-बाड़मेर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(2) का॰ आ॰ 243(अ) जो 16 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 50वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 51वां प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 52वां प्रतिवेदन।

(4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 53वां प्रतिवेदन।

6. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सीमा सुरक्षा : क्षमता निर्माण और सस्थाएं के बारे में 203वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 205वां प्रतिवेदन।

(2) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 201वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 206वां प्रतिवेदन।

(3) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 207वां प्रतिवेदन।

(4) चेन्नई में अतिवृष्टि और परिणामत: आई बाढ़ से हुई तबाही के बारे में 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 208वां प्रतिवेदन।

7. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों 2018-19 (मांग संख्या 58) के बारे में 302वां प्रतिवेदन।

(2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2018-19 (मांग संख्या 99) के बारे में 303वां प्रतिवेदन।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ संजय जायसवाल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 106वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 107वां प्रतिवेदन।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. प्रस्ताव

श्री अनंत कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश कियाः—

''कि यह सभा 7 मार्च, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 52वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री अरूण जेटली की ओर से वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग-चौथा बैच दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.07 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले

विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः—

(1) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों की समस्याओं का निराकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री बी॰ सेनगुट्टुवन द्वारा तमिलनाडु के वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाई-पास सड़कों और सड़क पुलों का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान द्वारा छत्तीसगढ़ में महानदी पर बांध परियोजनाओं के निर्माण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को राजी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा 'बॉम्बे उच्च न्यायालय' का नाम बदलकर 'मुम्बई उच्च न्यायालय' किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 09 *मार्च,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4522LS(S3)—08-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 270

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए कोरिया गणराज्य की नेशनल एसेंबली के स्पीकर महामहिम श्री चुंग से क्यूं और कोरिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए घोषणा की।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने तेरहवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती श्यामा सिंह; छठी लोक सभा के सदस्य श्री भानु कुमार शास्त्री और तेरहवीं से पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य श्री प्रबोध पांडा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

3. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 201 सूचीबद्ध थे अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 202–220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301–2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी अधिनियम, 1920 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी शाखा समितियां नियम, 2017 जो 28 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 12017/01/09/डिस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फोरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फोरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/पेंशन/संशो०/1/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2016 जो 11 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पेंशन/1/17 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/स्टाफ/ओएसआर/2017-ए में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 28 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1800/0089/पीडी:आईआरडी(ओ)/आर०68 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 12 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एचओ:एचआरओपीएस:ओएसआरएंड आईआर:282 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 20 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एचओ/पीएसडी/पेंशन/2017-18/77 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विजया बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2016 जो 13 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ वीबी/कार्मिक/पीएएंडपीडी/7566/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 28 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 6113 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 20 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ सीओ:एचआरडी:पेन:444 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 11 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ इंडियन बैंक/आईआरसी/जी–9/2017–18 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ एचओ:एचआर:ओपीएस:पेन:109/6113 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ एचओ:पेंशन:प्रकीर्ण 2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3949 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) देना बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ डीबी/एचओ/पेंशन/1021/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के सप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 6 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ सीओ:ईआरडी:4489:2017 में प्रकाशित हुए थे।

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 42(अ) जो 18 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा दो माह की अवधि के भीतर पुन:निर्यात की शर्त पर एडमिशन टेम्पोरेरी-टेम्पोरेरी एडमिशन कार्नेट प्रस्तुत करने पर प्रेस, ध्वनि प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण-परीक्षण मापन, अंशांकन और खेलकूद सामग्री के लिए उपस्करों के अस्थायी आयात को सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है जिसे जनहित में दो महीने से आगे की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 478(अ) जो 31 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना सं॰ 11/2018-सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो 1 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 668(अ) जो 15 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना सं॰ 13/2018-सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो 15 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 109(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 110(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में सभी माल पर पूर्ण शिक्षा उपकर उद्ग्रहण किए जाने से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 111(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में सभी वस्तुओं पर पूर्ण माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उद्ग्रहण किए जाने से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 112(अ) 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी०शु० को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 113(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 28/2007-सी०शु० को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 114(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल को समाज कल्याण अधिभार उद्ग्रहण किए जाने से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 115(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल पर 3 प्रतिशत से अधिक समाज कल्याण अधिभार उद्ग्रहण से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 116(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयातित माल पर एकीकृत कर और माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर पर उद्ग्रहणीय सामाजिक कल्याण अधिभार से पूर्ण रूप से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 117(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 118(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 6/2015-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 119(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 7/2015-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 120(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या 57/1998-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 121(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 मई, 1999 की अधिसूचना संख्या 59/1999-सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 122(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की धारा 103 के अंतर्गत उद्गृहीत अतिरिक्त सीमा शुल्क (सड़क उपकर) से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 123(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 116 के अंतर्गत उद्गृहीत अतिरिक्त सीमा शुल्क (सड़क उपकर) से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 124(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2018 के खंड 110 के अंतर्गत उद्गृहीत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) के स्थान पर अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 125(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 126(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011–सी॰शु॰ में (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 92(अ) जो 25 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) प्रतिकर उपकर माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 93(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017–प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप–धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 142(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/2018–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 143(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 8/2018–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 144(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 11/2018–के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 127(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 10/2015–के॰उ॰शु॰ को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 128(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या 11/2015–के०उ०शु० को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 129(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 मार्च, 2004 की अधिसूचना संख्या 38/2004–के०उ०शु० को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 130(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 62/2008–के०उ०शु० को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 131(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 21/2009–के०उ०शु० को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 132(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 29/2002 के०उ०शु० को निरस्त किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 133(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की धारा 111 के अंतर्गत उद्गृहीत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर) से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 134(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 के अंतर्गत उद्गृहीत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर) से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 135(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017 के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 136(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल पर, 50 प्रतिशत की दर पर परिकलित

धनराशि से अधिक पर उत्पाद शुल्कों से छूट प्रदान करना, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 137(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एथनॉल मिश्रित 5% पेट्रोल को वित्त अधिनियम, 2018 के खंड 110 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 138(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को वित्त अधिनियम, 2018 के खंड 110 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 139(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वनस्पति तेल से प्राप्त लंबी श्रृंखला के वसायुक्त अम्लों के एल्काइल ईस्टर के साथ मिश्रित हाई स्पीड डीजल तेल, सामान्यत बायोडीज़ल के नाम से प्रचलित, को 20 प्रतिशत तक की मात्रा में, जो कि एक मिश्रण है और उसमें 80 प्रतिशत या अधिक हाई स्पीड डीज़ल तेल है, को वित्त अधिनियम, 2018 के खंड 110 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 23(अ) जो 12 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रिट याचिका सं॰ 12950 वर्ष 2017 के संबंध में दिनांक 06.11.2017 के मद्रास उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के दृष्टिगत दिनांक 16.06.2017 की अधिसूचना सं॰ 30/2017 के प्रास्थगन आदेश को वापस लेना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। अधिसूचना 30/2017-सी॰शु॰ (एडीडी) मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाकिस्तान द्वारा उत्पादित और निर्यातित 4 मि॰मी॰ से 12 मि॰मी॰ (दोनों सम्मिलित) नॉमिनल थिकनेस के, पाकिस्तान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास पर

प्रतिपाटन शुल्क को अंतिम निष्कर्षों के आधार पर विहित किए जाने के लिए जारी किया गया था। यह अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 25 मई, 2017 की रिट याचिका सं॰ 12950 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत प्रास्थगित रखी गई थी।

(दो) सा॰का॰नि॰ 38(अ) जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय दिनांक 30.08.2012 की अधिसूचना सं॰ 40/2012–सी॰शु॰ (एडीडी) को प्रतिसंहृत/निरस्त करना है, जिसके अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत, अथवा वहां से निर्यातित 'मेट्रोनिडैजोल' के आयातों पर रिट याचिका सं॰ 7464/2017 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुपालन में प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। साथ ही, अधिसूचना का आशय 30.08.2012 की अधिसूचना सं॰ 40/2017 सी॰शु॰ (एडीडी) के अंतर्गत 29 अगस्त, 2017 को और उसके पश्चात् संदत्त प्रतिपाटन शुल्क को, विधि अनुसार, ऐसे व्यक्ति को वापस किए जाने का उपबंध करना भी है, जिसने भार डाले बिना एडीडी वस्तुत: संदत्त किया था।

(13) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 141(अ) जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-वे बिल नियम के प्रभावशील होने की विलंबित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 80(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017–केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 81(अ) जो 25 जनवारी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017–केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 82(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के विषयाधीन पुराने और प्रयुक्त

वाहनों पर केन्द्रीय कर की रियायती दर का उल्लेख करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 83(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या 45/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 64(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 65(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 66(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 67(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकार के अंतरण के विरुद्ध निर्माण द्वारा सेवा आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति और विलोमतः द्वारा संदाय कर के संबंध में विशेष प्रक्रिया प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 68(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम के लाभ में केन्द्रीय सरकार के हिस्से को केन्द्रीय कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 84(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 85(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017–एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 86(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनक आशय विनिर्दिष्ट शर्तो के विषयाधीन पुराने और प्रयुक्त वाहनों पर एकीकृत कर की रियायती दर का उल्लेख करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 87(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या 47/2017–एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 69(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 8/2017–एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 70(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 9/2017–एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 71(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 10/2017–एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 72(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकार के अंतरण के विरुद्ध निर्माण द्वारा सेवा आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति और विलोमत: द्वारा संदाय कर के संबंध में विशेष प्रक्रिया प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 73(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम के लाभ में केन्द्रीय सरकार के हिस्से को एकीकृत कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 74(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) के नियम 10(1) (ग) के अंतरण मूल्य में सम्मिलित रायल्टी और लाइसेंस फीस के विचारण आरोपित पर देय सीमा तक एकीकृत कर से रायल्टी और लाइसेंस फीस से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचिनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 88(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचिना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 89(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 90(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन पुराने और प्रयुक्त वाहनों पर संघ राज्यक्षेत्र कर की रियायती दर का विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 91(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या 45/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 75(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 76(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ

राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 77(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 78(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकार के अंतरण की बाबत निर्माण द्वारा सेवा आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति और विलोमत: द्वारा कर की संदायगी के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 79(अ) जो 25 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम के लाभ में केन्द्रीय सरकार के हिस्से को संघ राज्य क्षेत्र कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) निम्नलिखित केन्द्रों के वर्ष 2016-2017 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (इंस्टीट्यूट फार सोशल एंड इकोनोमिक चेंज), बैंगलौर

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सेंटर फार रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट), चंडीगढ़

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (अर्थशास्त्र विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (केरल विश्वविद्यालय), तिरूवनंतपुरम

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आंध्र विश्वविद्यालय), विशाखापट्टनम

(17) ऊपर उल्लिखित केन्द्रों के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शरद त्रिपाठी ने वर्ष 2018-19 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19)' संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

(2) 'वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19)' संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

(3) 'कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19)' संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

(4) 'योजना मंत्रालय (नीति) की अनुदानों की मांगों (2018-19)' संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

(5) 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19)' संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

8. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भोला सिंह ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

9. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ धर्मवीर गांधी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हरि ओम पाण्डेय ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2018-19 (मांग संख्या 98) के बारे में 304वां प्रतिवेदन।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों 2018-19 (मांग संख्या 57) के बारे में 305वां प्रतिवेदन।

11. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 12 मार्च, 2018 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.06 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 12 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4603LS(S3)—09-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 12 मार्च, 2018/21 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 271

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' के नियम 47 के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 221 को हटा दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 222 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 223–240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531–2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2018 जो 5 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 170(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(क) (एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ओम्नीबस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2016-2017

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ओम्नीबस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सर्व शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 5 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मसाला बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2017 जो 17 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या एफ सं॰ एमकेटी-आरइजीएन/0002/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सचिव (मसाला बोर्ड) नियम, 2018 जो 9 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 152(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) मसाला बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2018 जो 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 156(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) मसाला बोर्ड (संशोधन) नियम, 2018 जो 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 157(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मसाला बोर्ड (गुणवत्ता चिन्हांकन) संशोधन विनियम, 2018 जो 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 158(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) (संशोधन) नियम, 2018 जो 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 159(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) मसाला बोर्ड (बैठक) संशोधन नियम, 2018 जो 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 160(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 2018 जो 9 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 18(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)] भर्ती नियम, 2017 जो 12 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं॰ 2-42/एआईसीटीइ/ स्थापना/स्पेशल ग्रेड फॉर ड्राइवर/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 133वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद्, बंगलौर के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की संपत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबंधन हेतु

संस्थान के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित योजना के खण्ड 9(1)(ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, स्कीम और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(*एक*) *चिट फंड (संशोधन) विधेयक,* 2018

(*दो*) *भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक,* 2018

श्री अरूण जेटली की ओर से श्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा पेश किए गए भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिए जाने संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया गया।

श्री भर्तृहरि महताब ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.10 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ ने निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु आरक्षण पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में मनकापुर रेलवे जंक्शन में गोरखधाम एक्सप्रेस (गाड़ी सं॰ 12555/12556) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री बिष्णु पद राय द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिए जाने के बारे में।

(4) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ उदित राज द्वारा दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में।

(6) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि के कारण फसलों की हानि झेलने वाले किसानों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती अंजू बाला द्वारा देश में बलात्कारियों की दोष सिद्धि हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत विकास कार्यक्रम लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रामेश्वर तेली द्वारा बढ़ते हुए मानव-पशु संघर्ष के बारे में।

(10) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार में सीतामढ़ी जिले के बेलसंड और शिवहर जिले में तरियानी प्रखंड को जोड़ने वाले रोड ओवर ब्रिज के लिए सम्पर्क सड़क का शीघ्र निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राम प्रसाद सरमा द्वारा गोरखाओं को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती पूनम महाजन द्वारा भारत में शहरीकरण के बारे में।

(13) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा कर्नाटक के टुमकुर में एचएमटी वाचेज की भूमि इसरो को सौंप जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों की मासिक परिलब्धियों में वृद्धि तथा उनके रोजगार को स्थायी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में अपर कुट्टानाड क्षेत्र में नदी और नहर प्रणालियों को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्रीमती एम॰ वसन्ती द्वारा तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मैत्तूर और पवूरचत्तरम के बीच समपार सं॰ 78 में चौकीदार नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री ए॰ अरुणमणिदेवन द्वारा नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) प्रो॰ सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को स्थाई कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा के क्योंझर, जेयपोर और खण्डापाड़ा में उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा तेलंगाना के करीमनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री एम॰बी॰ राजेश द्वारा केरल के पलक्कड़ में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना से प्रभावित विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में।

(23) मोहम्मद फैजल द्वारा लक्षद्वीप में उज्जवला योजना और सभी के लिए आवास स्कीम का कार्यान्वयन किए जाने के बारे में।

(24) श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.11 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 13 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4662LS(S3)—12-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 13 मार्च, 2018/22 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 272

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनका नाम तारांकित प्रश्न संख्या 241 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। यद्यपि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्य द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 241 का अनुपूरक प्रश्न पूछा गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 *बजे स्थगित हुई और*
अपराह्न 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 242—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) उद्यम सर्वेक्षण, 2016-2017 (वाल्यूम-I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वर्ष 2016-17 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग एक - समीक्षा)।

(दो) वर्ष 2016-17 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग दो - विस्तृत विनियोग लेखे)।

(तीन) वर्ष 2016-17 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे भाग दो -विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध-छ)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2018 का संख्यांक 2) (अनुपालन लेखापरीक्षा) वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय/विभाग।

(2) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2017 का संख्यांक 45)—भारतीय रेल के भारी यातायात वाले खंडों पर रेल पटरियों का रखरखाव।

(3) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2018 का संख्यांक 1)—रेल वित्त।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) के॰एस॰जे॰ हाई स्कूल संभल, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) के॰एस॰जे॰ हाई स्कूल संभल, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) विमला महिला समाजम, एर्णाकुलम, केरल के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विमला महिला समाजम, एर्णाकुलम, केरल के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) स्वीकार अकादमी आफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सिंकदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वीकार अकादमी आफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सिंकदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2010–2011 से 2012–2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2010–2011 से 2012–2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) केरल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, तिरुवंतपुरम के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, तिरुवंतपुरम के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) शुभम विकलांग विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शुभम विकलांग विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार लोकोमोटर डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार लोकोमोटर डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन)नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इम्पावरमेंट आफ पर्सन्स विद विजुवल डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इम्पावरमेंट आफ पर्सन्स विद विजुवल डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (सहायक स्टोर कीपर) भर्ती नियम, 2017, जो 15 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1517(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (सहायक निदेशक) भर्ती नियम, 2018, जो 10 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 11(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (अनुदेशक) भर्ती नियम, 2017, जो 18 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 28(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(31) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) स्मॉल फामर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल फामर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2018 जो 3 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 510(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰आ॰ 4120(अ) जो 30 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2900(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 359(अ) जो 24 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित उर्वरकों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 20ख के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के लिए कस्टमाइज्ड उर्वरक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

4. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(2) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(4) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'गीत और नाटक प्रभाग के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में 49वां प्रतिवेदन।

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुरेश सी॰ अंगड़ी ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, सैन्य अभियांत्रिकी सेवा, कैंटीन स्टोर्स विभाग, रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा पेंशन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के बारे में 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(2) आयुष निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में 30वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(3) 'सशस्त्र सेनाओं के लिए दंत चिकित्सा सेवा सहित अन्य चिकित्सा सेवाओं के प्रावधान के बारे में 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(4) सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक सैन्य अभियांत्रिकी सेवा, रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा पेंशन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (मांग सं॰ 19 और 22) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) का 40वां प्रतिवेदन।

(5) थल सेना, नौ सेना और वायु सेना पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (मांग संख्या 20) 2018-19 के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) का 41वां प्रतिवेदन।

(6) रक्षा सेवाएं, रक्षा आयोजना और प्रापण नीति पर पूंजीगत परिव्यय (अनुदान सं॰ 21) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2018-19 के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) का 42वां प्रतिवेदन।

(7) आयुध निर्माणियों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर के राजस्व बजट (अनुदान सं॰ 20) पर

रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2018-19 के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) का 43वां प्रतिवेदन।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वर्ष 2018-19 के लिए विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2018-19 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

7. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरिट सोमैया ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(3) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' संबंधी 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(2) 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की समीक्षा' विषय के बारे में 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

10. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री के॰ अशोक कुमार ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

11. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(3) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

12. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(4) खान मंत्रालय से संबंधित 'खनन क्षेत्र में कौशल विकास' विषयक समिति के 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

13. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार ने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 209वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ के॰ गोपाल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 309वां प्रतिवेदन।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 310वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 311वां प्रतिवेदन।

(4) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 312वां प्रतिवेदन।

(5) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 313वां प्रतिवेदन।

(6) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 314वां प्रतिवेदन।

(7) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 315वां प्रतिवेदन।

15. मंत्रियों द्वारा विवरण

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पंजाब में नष्ट हुई गेहूं के बारे में श्री के॰ अशोक कुमार, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 (हिन्दी रूपान्तर) के संबंध में 6 मार्च, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित ''शराब की लत और

नशीली दवाओं के सेवा के शिकार व्यक्ति, उनका उपचार/पुनर्वास और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका'' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.08 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लंबित सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे।

(2) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बरुवा एवं ओहन बांध में गाद की सफाई कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा हरियाणा में अम्बाला और उसके आस-पास के शहरों को एक औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री हरीश मीना द्वारा देश में जल संरक्षण हेतु एक व्यापक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर या जैसलमेर में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किए जाने और इस क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने की व्यवहार्यता के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा में आराधना सुपरफास्ट एक्सप्रेस (गाड़ी सं॰ 12905/06) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा महाराष्ट्र के दिन्डोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों को आपस में जोड़े जाने संबंधी परियोजनाओं में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद् का सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरुच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उदयपुर शहर को बी–2 श्रेणी का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 'इज्जत' मासिक ट्रेन पास जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री जे॰जे॰टी॰ नट्टर्जी द्वारा तमिलनाडु के थूथुकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रदूषणकारी स्टरलाईट इंडस्ट्रीज को बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री जी॰ हरि द्वारा तमिलनाडु में काटपाडी एवं मरुदलम रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हानिकारक तत्व के रूप में वर्गीकृत कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री अर्का केशरी देव द्वारा ओडिशा में रेल मार्ग को जूनागढ़ से बढ़ाकर अम्पानी तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम में करीमगंज जिले में स्थिति सोन भील को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में जनजातीय लोगों के भूमि संबंधी अधिकारों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री जोस के॰ मणि द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के संभावित दुष्परिणामों से केरल के लघु और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 14 *मार्च,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4792LS(S3)—13-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 14 मार्च, 2018/23 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 273

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 का मौखिक उत्तर दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 262—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण पिछले कुछ दिनों से सभा की बैठकों में निरंतर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अनुरोध किया गया है, वित्तीय कार्य के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए हम इसे और अधिक अस्थगित नहीं कर सकते हैं। अत:, वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों के संबंध में गिलोटीन, जो आज अपराह्न 05.00 बजे होना निर्धारित है, अब सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तुरंत बाद लिया जा सकेगा और तत्पश्चात् अन्य सूचीबद्ध वित्तीय कार्य किए जाने हैं।''

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(4) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकार्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकार्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया), नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया), नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हासन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हासन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी भर्ती में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2018, जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 140(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 41वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 140वां प्रतिवेदन।

(2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 141वां प्रतिवेदन।

7. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विनसेंट एच॰ पाला ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 95वां प्रतिवेदन।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 96वां प्रतिवेदन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मांग सं॰ 23) पर अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

9. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री कलराज मिश्र ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, राज्य सभा से दिनांक 3 अप्रैल, 2018 को श्री नरेश अग्रवाल के अवकाश प्राप्त करने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति के बाबत एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने तथा उन्हें अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा पारा-शिक्षकों की सेवाओं को स्थायी प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कैशलेस स्कूल वाउचरों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रावधान शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में गांधी धाम से बिहार में दरभंगा तक एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया रेलवे मंक्शन में पिट लाइन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा धनबाद-चन्द्रपुरा रेल लाइन के बंद किए जानो की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई सबअर्बन सेंट्रल और पश्चिम रेलवे मंडल पर वातानुकूलित डिब्बों सहित मिश्रित लोकल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उत्तराखंड में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, औषधीय पादप तथा अन्य वनोत्पादों में रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन तक एक लोकल ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के गढ़वा जिले में मेराल रेलवे स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस और त्रिवेणी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सुधीर गुप्ता द्वारा देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत फलदार वृक्षों को लगाए जाने को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा उत्तर गुजरात को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा पशु स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र में गुणवत्तापरक औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ करण सिंह यादव द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सेवाएं आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एम॰आई॰ शनवास द्वारा सभी प्रकार के रोगों का उपचार करने का कथित दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री ए॰ अनवर राजा द्वारा श्रीलंका की सरकार के साथ तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री पी॰आर॰ सुन्दरम द्वारा हज सब्सिडी को पुन: बहाल किए जाने के बारे में।

(20) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केनिंग रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म शेड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड को तेंतुलोई कोल ब्लॉक के बदले में कोल ब्लॉक आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा देश में बाघ परियोजनाओं हेतु 100 प्रतिशत निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा डिवीजन में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) डॉ॰ सम्पत द्वारा देश के दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी भागों में रेल संपर्क में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादन में आई कमी के बारे में।

(26) श्री दुष्यंत चौटला द्वारा ग्राम स्तर पर विकास कार्यों हेतु लघु उपकरणों की खरीद की अनुमति देने के लिए एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री राजेश रंजन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में बिहार की सुरजापुरी जाति को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा इफ्को को सरकार के नियंत्रणाधीन लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(29) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा केरल में नया ईएसआई औषधालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

11. केन्द्रीय बजट (सामान्य)—2018-2019—अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष ने घोषणा की कि वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों (सामान्य) से संबंधित सभी कटौती प्रस्ताव, जो परिचालित किए गए थे, को पेश किया गया माना गया।

सभी कटौती प्रस्ताव, जिन्हें पेश किया गया माना गया, अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2018-19 के बजट (सामान्य) — अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 में

दर्शायी गई राशि के लिए निम्नलिखित बकाया अनुदानों की मांगों (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई और पूरी-पूरी स्वीकृत हुई:—

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 4

(3) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष), मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 से 8

(5) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9

(6) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10

(7) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12

(8) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 और 14

(9) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 15 और 16

(10) कार्पोरेट मामले मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17

(11) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18

(12) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 से 22

(13) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23

(14) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24

(15) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25

(16) इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 26

(17) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27

(18) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28

(19) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29 से 36, 39 और 40

(20) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 41

(21) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 और 43

(22) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 44 और 45

(23) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 से 55

(24) आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56

(25) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 और 58

(26) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59

(27) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60

(28) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61 और 62

(29) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64

(30) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65

(31) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(32) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67

(33) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68

(34) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69 और 70

(35) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72

(36) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73

(37) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74

(38) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 76

(39) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 77

(40) उपराष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 78

(41) रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 80

(42) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81

(43) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 और 83

(44) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 84 से 86

(45) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87

(46) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88

(47) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89 और 90

(48) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 91

(49) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92

(50) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93

(51) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94

(52) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95

(53) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96

(54) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97

(55) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98

(56) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99

अपराह्न 12.13 बजे

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018

13. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 12.16 बजे

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

वित्त विधेयक, 2018

15. सरकारी विधेयक—पारित

वित्त विधेयक, 2018

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 11 स्वीकृत हुए।

खंड 12, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 13 से 17 स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2018 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 17क के अंत:स्थापन हेतु संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 17क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 18 और 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2018 की

सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 20क के अंत:स्थापन हेतु संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 20क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 21 से 25 स्वीकृत हुए।

खंड 26, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 27 से 30 स्वीकृत हुए।

खंड 31, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 32 से 41 स्वीकृत हुए।

खंड 42, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 43 और 44 स्वीकृत हुए।

खंड 45, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 46 से 52 स्वीकृत हुए।

खंड 53, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 54 से 108 स्वीकृत हुए।

खंड 109 से 129 स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2018 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 129क के अंत:स्थापन हेतु संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 129क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 130 से 148 स्वीकृत हुए।

खंड 149, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 150 से 189 स्वीकृत हुए।

खंड 190, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 191 से 209 स्वीकृत हुए।

खंड 210 से 218 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची से छठी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

16. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, वित्त विधेयक जिसे हमने अभी पारित किया है, उसमें 21 सरकारी संशोधन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विधेयक में 3 नए खंडों के अंत:स्थापन का उपबंध किया गया है। अत: मैं निदेश देती हूं कि अनुवर्ती खंडों और उप-खंडों को तद्नुसार पुनर्संख्यांकित किया जाए और जब कभी भी अपेक्षित हो, विधेयक में परिणामी परिवर्तन किया जाए।''

अपराह्न 12.34 बजे

17. वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें—चौथा बैच

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1 से 6, 8 से 14, 16 से 27, 29, 31, 33 से 35, 42 से 44, 46, 48 से 53, 56 से 61, 64 से 70, 72, 74, 80, 81, 84, 86 से 92 और 94 से 100 की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की अनूपूरक मांगों-चतुर्थ बैच (सामान्य)—वर्ष 2017-18 की चतुर्थ बैच (सामान्य) की अनुदानों की अनुपूरक मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराह्न 12.35 बजे

18. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2018

19. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2018

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 12.38 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 15 *मार्च,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4845LS(S3)—14-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 274

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 282—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(एक) 12वें दक्षिण एशियाई खेल, 2016 के संबंध में क्रियाकलाप/खेलोपरांत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) 12वें दक्षिण एशियाई खेल, 2016 की आयोजन समिति की 29 अगस्त, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) 12वें दक्षिण एशियाई खेल, 2016 की आयोजन समिति की 29 अगस्त, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) नावधिकरण (अधिकारिता और सामुद्रिक दावों का निपटारा) अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 767(अ) जो 22 फरवरी, 2018 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2018 को नावधिकरण (अधिकारिता और सामुद्रिक दावों का निपटारा) अधिनियम, 2017 के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2017 जो 24 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 66(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (सातवां संशोधन) नियम, 2017 जो 5 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 832(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 जो 1 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1358(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) वायुयान (नौवां संशोधन) नियम, 2017 जो 20 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1171(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी (डिजाइन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी) नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी (डिजाइन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी) नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 3997(अ) जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सदस्य सचिव, के॰रे॰बो॰ को 06.11.2017 से 3 वर्षों की अवधि के लिए के॰रे॰बो॰ के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 489(अ) जो 1 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा व्यक्तियों को अधिसूचना की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए के॰रे॰बो॰ के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 490(अ) जो 1 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21.12.2017 को सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित डॉ॰ महेन्द्र नाथ पांडेय, संसद सदस्य (लोक सभा) को 21.12.2017 से 3 वर्षों की अवधि के लिए के॰रे॰बो॰ के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(9) इंडियन रोड कांग्रेस, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 440(अ) जो 31 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (पिंडवाड़ा-उदयपुर और

चित्तौड़गढ़–कोटा–बारां–राजस्थान मध्यप्रदेश सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्कों की दरों के बारे में है, की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'रेल अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के अवसरों की तलाश के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही' संबंधी 21वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) 'भारतीय रेल में हरित ऊर्जा पहलों के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही' संबंधी 22वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) 'मानव रहित समपारों पर संरक्षा प्रावधानों के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही' संबंधी 23वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ संजय जायसवाल ने आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018–2019) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 108वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. मंत्री द्वारा विवरण

ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री और खान मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015–16) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016–17) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

7. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के सदस्यों को नियुक्त किए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह राज्य सभा से अवकाश ग्रहण कर चुके श्री सुखेन्दु शेखर राय तथा 2 और 3 अप्रैल, 2018 को राज्य सभा से अवकाश ग्रहण कर रहे क्रमश: श्री अजय संचेती और श्री भूपेन्द्र यादव के स्थान पर वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा के तीन सदस्यों को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा इस संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

8. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—समय का बढ़ाया जाना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 2018 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. नियम 199 के अधीन वक्तव्य

श्री अशोक गजपति राजू पूसापति ने मंत्रिपरिषद् से अपने त्यागपत्र के स्पष्टीकरण में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.09 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले

विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा हावड़ा-नई दिल्ली दुरन्तो एक्सप्रेस एवं रांची-जयनगर एक्सप्रेस को धनबाद, झारखंड के रास्ते चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी के बारे में।

(4) डॉ॰ बंशीलाल महतो द्वारा छत्तीसगढ़ के कोरबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र के बारे में।

(5) श्री डी॰एस॰ राठौड़ द्वारा देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ भागीरथ प्रसाद द्वारा 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान की भावना के अनुरूप बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की योजनाएं कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिल्हा रेलेव स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस (गाड़ी सं॰ 12101) तथा साऊथ बिहार एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13287) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा देश में लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या को देखते हुए लोक अदालतों को सुदृढ़ किए जाने और लोक अदालतें आयोजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के जरमुंडी, देवघर और महागमा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री जुगल किशोर द्वारा पश्चिम पाकिस्तान से आई शरणार्थी बालिकाओं के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री ओम बिरला द्वारा किसानों को हुई हानि का प्रभाव दूर करने हेतु किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री एम॰के॰ राघवन द्वारा केरल से नई रेलगाड़ियां प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री टी॰ राधाकृष्णन द्वारा माचिस उद्योग के लिए जीएसटी की दर कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ के॰ कामराज द्वारा तमिलनाडु के सेलम जिले के यरकॉड हिल्स तथा विल्लूपुरम जिले के सितेरुपट्टू गांव में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा स्वतंत्र राष्ट्रीय फिजियोथेरैपी काउंसिल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह द्वारा ओडिशा के बरगढ़ में फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह द्वारा ओडिशा के वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में बीएसएनएल की मोबाइल सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री धर्म वीर गांधी द्वारा पंजाब की नदियों का नियंत्रण पंजाब सरकार को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री राजू शेट्टी द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. सांविधिक संकल्प स्वीकृत

श्री अरुण जेटली की ओर से श्री पी॰ राधाकृष्णन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''यह सभा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसरण में 1 मार्च, 2018 को जारी अधिसूचना संख्या 28/2018-सी॰शु॰, जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की मद 0713 20 00 के अधीन आने वाली चिकपी पर आधारभूत सीमा-शुल्क

(बीसीडी) की दर 40. से बढ़ाकर 60. करना है, का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।''

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

(एक) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017

लिया गया समय: 06 मिनट

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 12.19 बजे

(दो) विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2017

लिया गया समय: 08 मिनट

श्री रविशंकर प्रसाद की ओर से श्री पी॰पी॰ चौधरी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 से 14 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰पी॰ चौधरी द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 12.27 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 16 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4895LS(S3)—15-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 275

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ/प्रतिज्ञान लिया, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

क्रम सं॰	सदस्य का नाम	संसदीय क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री सरफराज आलम	अररिया	बिहार	प्रतिज्ञान	हिन्दी
2.	श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह पटेल	फूलपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
3.	श्री प्रवीण कुमार निषाद	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल, सातवीं, आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य; डॉ॰ बोल्ला बुल्ली रमैया, आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण, चौदहवीं लोक सभा की सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

उन्होंने प्रख्यात ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी और ब्रह्माण्डविद् प्रो॰ स्टीफेन हॉकिंग्स के निधन के संबंध में भी उल्लेख किया।

इसके अलावा, उन्होंने 13 मार्च, 2018 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में के॰रि॰पु॰ बल के कार्मिकों के वाहन पर नक्सलियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में के॰रि॰पु॰ बल के 9 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने विक्रम संवत के नव संवत्सर/चैत्र शुक्लादि/गुडी पर्व/उगाडी और चैती चांद के अवसर पर उल्लेख किया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.13 *बजे स्थगित हुई और*
अपराह्न 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

4. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 301—320 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

"माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9(1) के अधीन मैंने श्री कलराज मिश्र, संसद सदस्य को श्री हुकुम सिंह के दु:खद निधन के कारण हुई रिक्ति की बाबत सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है।

अपराह्न 12.02 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 15 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2017-18/022 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 15 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2017-18/023 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 15 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2017-18/024 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 12 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018-01 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 27 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2017-18/025 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) विनियम, 1992 जो 22 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलई/11112/92 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) विनियम, 1992 जो 7 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलई/92/तीन में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013 जो 21 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2012-13/31/1778 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2017-18/012 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 13 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2017-18/010 में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) की मद सं॰ (छह से आठ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा (प्रशमन कार्यवाही) संशोधन नियम, 2017 जो 20 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 151(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) भारतीय लघु उद्योग 'विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की धारा (3) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 25 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एचआरबीसं॰ एल00136691/स्टाफ॰जन॰(2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ऋण वसूली अधिकरण-2, बैंगलुरू (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 7 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अधिकरण–2, एर्नाकुलम (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 7 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1485(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अधिकरण–2, देहरादून (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 7 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1486(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अधिकरण–2, हैदराबाद (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 7 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1487(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अधिकरण–3, चंडीगढ़ (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 7 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1488(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) ऋण वसूली अधिकरण, सिलीगुड़ी (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 7 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1489(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) ऋण वसूली अधिकरण–1, अहमदाबाद (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1540(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) ऋण वसूली अधिकरण–2, अहमदाबाद (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1541(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1542(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1543(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) ऋण वसूली अधिकरण-1, बैंगलुरू (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1544(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) ऋण वसूली अधिकरण-1, चंडीगढ़ (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1545(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) ऋण वसूली अधिकरण-2, चंडीगढ़ (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1546(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) ऋण वसूली अधिकरण-1, चेन्नई (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1547(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) ऋण वसूली अधिकरण-2, चेन्नई (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1548(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) ऋण वसूली अधिकरण-3, चेन्नई (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1549(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) ऋण वसूली अधिकरण, कोयंबटूर (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1550(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) ऋण वसूली अधिकरण, कटक (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1551(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1552(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) ऋण वसूली अधिकरण-2, दिल्ली (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1553(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) ऋण वसूली अधिकरण-3, दिल्ली (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1554(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाइस) ऋण वसूली अधिकरण-1, एर्नाकुलम, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1556(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) ऋण वसूली अधिकरण-1, हैदराबाद (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1557(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) ऋण वसूली अधिकरण-1, जयपुर (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1559(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) ऋण वसूली अधिकरण-1, कोलकाता (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1560(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) ऋण वसूली अधिकरण-2, कोलकाता (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1561(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) ऋण वसूली अधिकरण–3, कोलकाता (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1562(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1563(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1564(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) ऋण वसूली अधिकरण–1, मुंबई (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1565(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण–2, मुंबई (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1566(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) ऋण वसूली अधिकरण–3, मुंबई (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1567(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1568(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) ऋण वसूली अधिकरण–1, पटना (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1569(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण–1, पुणे (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1570(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) ऋण वसूली अधिकरण–1, रांची (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1571(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) ऋण वसूली अधिकरण–1, विशाखापत्तनम (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1572(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1573(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतालीस) ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1574(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बयालीस) ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1575(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतालीस) ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता, दिल्ली (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1576(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौवालीस) ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1577(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों को आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.10.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों को आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.10.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि के लिए समापन का प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 183(अ) जो 23 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं० 1/2018-के०उ०शु० की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना है, कि उक्त अधिसूचना 01.02.2018 को या उसके पूर्व विनिर्मित और 02.02.2018 को या उसके पश्चात् मंजूर माल पर लागू नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 184(अ) जो 23 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं० 2/2018-के०उ०शु० की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना है, कि उक्त अधिसूचना 01.02.2018 को या उसके पूर्व विनिर्मित और 02.02.2018 को या उसके पश्चात मंजूर माल पर लागू नहीं होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 164(अ) जो 12 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 50/2017-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 182(अ) जो 23 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 50/2017-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 61(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13.12.2017 के प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क

महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''टोलुइन डाइआइसोसाइनेट'' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 179(अ) जो 21 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित चाकू तथा टॉयलेट मदों को छोड़कर सिरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है इसके जो इसके अनंतिम रूप से लगाए जाने की पूर्वोक्त तारीख अर्थात् 13 जून, 2017 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी तथा इसका संदाय भारतीय मुद्रा में किया जाएगा। परंतु यह कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के व्यपगत होने की तारीख अर्थात् 11 दिसंबर, 2017 से आरंभ होने वाली अवधि से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्ववर्ती दिन तक नहीं लगाया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 181(अ) जो 23 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 3/2018-सी॰शु॰ (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) (एक) आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) (12वां संशोधन) विनियम, 2017 जो 19 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 2/एसटीडीएस/सीपीएल एंड सीपी/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 जो 13 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 12/पीए/विनियम/डीआईआर(पीए)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक जीवविष और अवशिष्ट) दूसरा संशोधन विनियम, 2017 जो 25 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० पी/15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 17वां संशोधन विनियम, 2017 जो 21 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 1/योजक/एसटीडीएस/बीआईएस अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 13वां संशोधन विनियम, 2017 जो 12 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० ए-1(1)स्टेण्डडर्स/एमएमपी/2012 प्रकाशित हुए थे।

(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 8वां संशोधन विनियम, 2017 जो 13 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(19) (एक) आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2018 जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 190(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/68/2017 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 21 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/68क/2017 में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र।

(23) उपर्यक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(2) 'पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड जैसी कंपनियां जिनमें 50 प्रतिशत सरकार की और 50 प्रतिशत निजी इक्विटी है, में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की स्थिति' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 10 वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों, पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत संचार निगम लिमिटेड में अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 19 मार्च, 2018 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

9. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय मानसून सत्र 2018 के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

10. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी और थोटा नरसिम्हम से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। जब तक सभा में शांति नहीं है, मैं 50 सदस्यों—जिन्हें अपने समनुदिष्ट स्थानों पर खड़ा होना है ताकि मैं यह निर्धारण कर सकूं कि अनुमति प्रदान की जाए या नहीं—की गिनती करने की स्थिति में नहीं होउंगी। अत: मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।''

चूंकि सभा में शांति नहीं थी, इसलिए सूचनाएं इसके समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.06 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 19 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—4935LS(S3)—16-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 276

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 322—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2017 जो 19 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस सुविधाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) विनियम, 2018 जो 18 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएनएफआरए/टी4एस/एलएनजी/05 में प्रकाशित हुए थे।

(2) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा 5 जून से 16 जून, 2017 तक जेनेवा में आयोजित 106वें सत्र में अंगीकृत शांति और लचीलेपन के लिए नियोजन और शालीन कार्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नई सिफारिश सं॰ 205 (आर-205) को अंगीकार किए जाने के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई, के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई, के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई, के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई, के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (केपेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (केपेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) शेलैक एंड फारेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्त्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेलैक एंड फारेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्त्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शेलैक एंड फारेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्त्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) बेसिक केमिकल्स कास्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स कास्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 354(अ) जो 24 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में यथानिर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी मंचों पर अप्राधिकृत अतिरिक्त तम्बाकू का क्रय करने के लिए तम्बाकू बोर्ड के व्यापारियों/व्यवहारियों को अनुमति देने हेतु तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 355(अ) जो 24 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राजपत्र में इस अधिसूचना की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि से 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि तक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 14क की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा (1) के उपबंधों को लागू किए जाने से छूट प्रदान किया गया है तथा रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों के अतिरिक्त फ्लू शोधित वर्जीनिया तम्बाकू फसल तथा गैर-रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों के फ्लू शोधित वर्जीनिया तंबाकू फसल को तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर बिक्री की अनुमति दी गई है।

(24) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलाजी, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलाजी, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली (भाग एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा देना और स्वायत्तशासी महाविद्यालयों में मानकों को बरकरार रखने के लिए उपाय) विनियम, 2018, जो 12 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ 1-1/2012(एसी) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (केवल वर्गीकृत स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण) विनियम, 2018, जो 12 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 1-8/2017 (सीपीपी-2) में प्रकाशित हुए थे।

(33) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सरकारी-निजी-भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 38 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 758(अ) जो 21 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से समन्वय मंच नामक केन्द्रीय निकाय की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति का 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने प्राक्कलन समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग) से संबंधित ''भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना'' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (16वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) गृह मंत्रालय से संबंधित ''केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां—मूल्यांकन और अनुक्रिया तंत्र'' विषय के बारे में समिति का 28वां प्रतिवेदन।

6. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 286वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 287वां प्रतिवेदन।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 288वां प्रतिवेदन।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित ''राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति'' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित ''बदलते वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति'' विषय के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 134वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री थोटा नरसिम्हम,वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी और जयदेव गल्ला से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। जब तक सभा में शांति नहीं है, मैं 50 सदस्यों—जिन्हें अपने समनुदिष्ट स्थानों पर खड़ा होना है की गिनती करने की स्थिति में नहीं होउंगी ताकि मैं यह निर्धारण कर सकूं कि अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।''

चूंकि सभा में शांति नहीं थी, इसलिए सूचनाएं इसके समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.08 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 20 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव

महासचिव

MGIPMRND—4985LS(S3)—19-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 277

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 342—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 — 4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गएः—

(1) संपदा निदेशालय द्वारा जारी दिनांक 17.11.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 12035/2/97–पोल॰ दो(पीटी॰दो) के दिशानिर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2017 के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सामान्य पूल रिहायशी आवास के प्रत्येक टाइप में हुई 5 प्रतिशत रिक्तियों के अंतर्गत बिना बारी के वैवेकिक आवंटनों के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2016 के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क (4) के अंतर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2016 के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (एक) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेसन्स लिमिटेड, पुनलूर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेसन्स लिमिटेड, पुनलूर का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 204 के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान) (संशोधन) नियम, 2017 जो 17 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 249/2017/एव॰ सं॰ 3-21/96-पीआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार द इंपावरमेंट आफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार द इंपावरमेंट आफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार द इंपावरमेंट आफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार द इंपावरमेंट आफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2652(अ) और का॰आ॰ 2653(अ) जो 16 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता के चितपुर रेलवे स्टेशन को भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में घोषित किए जाने तथा एफआरआरओ, कोलकाता को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2654(अ) और का॰आ॰ 2655(अ) जो 16 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य के वल्लारपाड़म सीपोर्ट को भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत पत्तन के रूप में घोषित किए जाने तथा एफआरआरओ, कोचीन को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 3137(अ) और का॰आ॰ 3138(अ) जो 27 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मिजोरम राज्य के लुंगलेई जिले में कावरपुईछुआह स्थल चेक पोस्ट को भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में घोषित किए जाने तथा पुलिस अधीक्षक, लुंगलेई जिला, मिजोरम को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 3139(अ) और का॰आ॰ 3140(अ) जो 27 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मिजोरम राज्य के लवंगतलाई जिले में जोरिनपुरी लैण्ड चेक पोस्ट को भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में घोषित किए जाने तथा पुलिस अधीक्षक, लवंगतलाई जिला, मिजोरम को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 3605(अ) और का॰आ॰ 3606(अ) जो 16 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मुंद्रा सीपोर्ट को भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में घोषित किए जाने तथा पुलिस अधीक्षक, जिला-कच्छ वेस्ट भुज, गुजरात को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 3607(अ) और का॰आ॰ 3608(अ) जो 16 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य के विजिंझम सीपोर्ट को भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में घोषित किए जाने तथा एफआरआरओ त्रिवेंद्रम को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 3848(अ) और का॰आ॰ 3849(अ) जो 8 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में विजयवाड़ा विमानपत्तन को भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में घोषित किए जाने तथा पुलिस उपायुक्त, एलएंडओ-1, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 291(अ) से का॰आ॰ 298(अ) जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम के चार नदी पत्तनों (धुबरी, पांडु (गुवाहाटी), नागांव और करीमगंज) को भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवास चेक पोस्टों के रूप में घोषित किए जाने तथा संबंधित एसएसपी/एसपी को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 732(अ) और का॰आ॰ 733(अ) जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लौर जिले में कृष्णापत्तनम पोर्ट को भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में घोषित किए जाने तथा पुलिस अधीक्षक, नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश को ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में है।

(13) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(21) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 30/2018-सी॰शु॰ जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि कच्ची चीनी, सफेद या परिष्कृत चीनी पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत से कम करके शून्य किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ संजय जायसवाल ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2017 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 109वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

#(1) विदेश मंत्री ने मोसुल, इराक में 39 भारतीयों की मृत्यु के बारे में सभा को सूचित किया। मंत्री ने वक्तव्य देना चाहा। तथापि, सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, मंत्री वक्तव्य नहीं दे पायीं।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री; और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 296वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 304वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'सीमा सुरक्षा: क्षमता निर्माण और संस्थापन' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 203वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

* अपराह्न 12.03 बजे

\# अपराह्न 12.06 बजे

6. प्रस्ताव

श्री अनंत कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 19 मार्च, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 53वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी और थोटा नरसिम्हम से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। जब तक सभा में शांति नहीं है, मैं 50 सदस्यों—जिन्हें अपने समनुदिष्ट स्थानों पर खड़ा होना है की गिनती करने की स्थिति में नहीं होउंगी ताकि मैं यह निर्धारण कर सकूं कि अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।''

चूंकि सभा में शांति नहीं थी, इसलिए सूचनाएं इसके समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.13 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 21 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—5028LS(S3)—20-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 21 मार्च, 2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या 278

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनका नाम तारांकित प्रश्न संख्या 361 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। यद्यपि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 362—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन

अनुक्रिया दल (सीइआरटी-इन) समूह ''क'' और ''ख'' पद, भर्ती नियम, 2017 जो 24 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1443(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन काउंसिल फार कल्चरल रिलेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल फार कल्चरल रिलेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल फार कल्चरल रिलेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय की सूचना दी कि राज्य सभा ने 19 मार्च, 2018 को हुई अपनी बैठक में श्री सुखेन्द्र शेखर रे द्वारा राज्य सभा से अवकाश ग्रहण करने के कारण और 2 और 3 अप्रैल, 2018 को राज्य सभा से क्रमश: श्री अजय संचेती और श्री भूपेन्द्र यादव के अवकाश ग्रहण करने के कारण उत्पन्न (दो और) पद रिक्तियों के स्थान पर राज्य सभा के तीन सदस्यों को वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति के लिए नियुक्त करने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और सर्वश्री सुखेन्दु शेखर रे, श्री भूपेन्द्र यादव और श्री महेश पोद्दार जिन्हें उक्त समिति के लिए 4 और 3 अप्रैल, 2018 से विधिवत् नियुक्त/ पुन: नियुक्त किया गया है, के नामों की सूचना भी दी।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.04 बजे

6. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> ''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री थोटा नरसिम्हम और वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाए प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। जब तक सभा में शांति नहीं है, मैं उन 50 सदस्यों—जिन्हें अपने समनुदिष्ट स्थानों पर खड़ा होना है, की गिनती करने की स्थिति में नहीं होउंगी ताकि मैं यह निर्धारण कर सकूं कि अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।''

चूंकि सभा में शांति नहीं थी, इसलिए सूचनाएं इसके समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.07 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 22 *मार्च,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—5054LS(S3)—21-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 22 मार्च, 2018/01 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या 279

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 382—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371—4600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों को सांझा करना) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2017 जो 11 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(i) नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 208(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ii) सा॰का॰नि॰ 40(अ) जो 18 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 से 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं के बारे में समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने 'लंबित परियोजनाओं' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति

के 14वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के विवरण

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) 'पुलिस बल में महिलाओं की कार्य-दशाओं' विषय पर समिति (2012-2013) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2014-2015) के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'रेलवे में महिलाओं की कार्य-दशाओं तथा महिला यात्रियों के लिए सुविधाएं' विषय पर समिति (2014-2015) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2015-2016) के 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

6. मंत्री द्वारा विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री थोटा नरसिम्हम और वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। जब तक सभा में शांति नहीं है, मैं उन 50 सदस्यों—जिन्हें अपने

समनुदिष्ट स्थानों पर खड़ा होना है, की गिनती करने की स्थिति में नहीं होउंगी ताकि मैं यह निर्धारण कर सकूं कि अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।''

चूंकि सभा में शांति नहीं थी, इसलिए सूचनाएं इसके समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.08 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—5079LS(S3)—22-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/02 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या 280

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने सभा की ओर से महान क्रांतिकारियों शहीद भगत सिंह, शहीद शिवराम हरि राजगुरु और शहीद सुखदेव थापर, जिन्होंने 23 मार्च, 1931 को शहीद हुए थे, को श्रद्धांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात्, सदस्यगण स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 402—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601—4830 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण, मुझे आज मेरे स्वयं के सचिवालय के बारे में घोषणा करनी है।

सातवें वेतन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 98 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों के बारे में कोई अनुशंसा नहीं की है।

राज्य सभा के सभापति और मैंने आपसी परामर्श के पश्चात् और पुरानी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संसद की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(1) सभापति, प्राक्कलन समिति
(डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी)

(2) सभापति, लोक लेखा समिति
(श्री मल्लिकार्जुन खड़गे)

(3) सभापति, वित्त संबंधी स्थायी समिति
(डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली)

(4) संसदीय कार्य मंत्री
(श्री अनंत कुमार)

(5) वित्त मंत्री
(श्री अरुण जेटली)

(6) सदस्य, राज्य सभा
(प्रो॰ राम गोपाल यादव)

सभापति, प्राक्कलन समिति डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी समिति के सभापति होंगे। समिति का कार्य 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर भारत सरकार के निर्णय के संदर्भ में राज्य सभा और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते, अवकाश, पेंशन लाभ और अन्य सुविधाओं की संरचना में वांछित समझे जाने वाले परिवर्तनों के बारे में सभापति राज्य सभा और अध्यक्ष लोक सभा को सलाह देना है।

समिति, यथाशीघ्र सभापति, राज्य सभा और अध्यक्ष, लोक सभा को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।''

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38क के अंतर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (मामलाधीन संपत्ति, पशुओं की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 495(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 26 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 185(अ) में प्रकाशित उसके शुद्धि पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 200(अ) जो 1 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 220(अ) जो 12 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय पदाभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''ओ-एसिड'' के आयात पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 7 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 204(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 205(अ) जो 7 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 55(अ) का निरसन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 जो 2 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीपीबी/03/मानक/एफएसएसएआई/2016 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टीट्यूट आफ इकोनोमिक ग्रोथ), दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ), दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निपटान प्रक्रिया) विनियम, 2017 जो 7 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/ जीएन/आरईजी/21 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 1 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/ जीएन/आरईजी/22 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 1 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/ जीएन/आरईजी/23 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/ जीएन/आरईजी/24 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 7 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/ 2017-18/जीएन/आरईजी/025 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (चेयरपर्सन और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम 2018 जो 9 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 153(अ) में प्रकाशित हुए थे।

*(20) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 32/2018-सी॰शु॰ जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

---

*अपराह्न 12.06 बजे

तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि एलसीडी/एलईडी टीवी पैनल के खुले सैल (15.6" और अधिक) पर मूल उत्पाद शुल्क (बीसीडी) 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री; और खान मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:—

(एक) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सत्र की शेष अवधि के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.07 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी और थोटा नरसिम्हम से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। जब तक सभा में शांति नहीं है, मैं उन 50 सदस्यों—जिन्हें अपने समनुदिष्ट स्थानों पर खड़ा होना है, की गिनती करने की स्थिति में नहीं होउंगी ताकि मैं यह निर्धारण कर सकूं कि अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।''

चूंकि सभा में शांति नहीं थी, इसलिए सूचनाएं इसके समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.09 बजे

9. बैठक का रद्द किया जाना

अध्यक्ष ने घोषणा की कि उन्हें सोमवार, 26 मार्च, 2018 को रामनवमी के अवसर पर नियत सभा की बैठक रद्द किये जाने के बारे में कई सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुआ है और उन्होंने सभा की बैठक रद्द किये जाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 12.09 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 27 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—5098LS(S3)—23-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 27 मार्च, 2018/6 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या 281

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **प्रश्न**

(एक) सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न 441 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। व्यवधान के कारण, शेष तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 442—460 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 5061—5290 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(दो) सोमवार, 26 मार्च, 2018 के लिए नियत लोक सभा की बैठक रद्द किए जाने के कारण उस दिन की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 421—440 के उत्तरों को भी अतारांकित माना गया और उनके उत्तर भी अतारांकित प्रश्न संख्या 4831—5060 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1)के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) (एक) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान,नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, मेडिकल संवर्ग, समूह 'ग' पद (योधक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018, जो 8 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 212(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बैंगलुरू के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएमटी लिमिटेड, बैंगलुरू का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पलक्कड के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीटयूट, पलक्कड के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) कोस्टल अक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोस्टल अक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) वेस्ट बंगाल लाइवस्टाक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-1017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेस्ट बंगाल लाइवस्टाक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) गोवा मीट कांप्लेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट कांप्लेक्स लिमिटेड, पणजी का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 9 मार्च, 2018 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने 1 मई, 2018 को आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए दोनों सभाओं की

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने तथा अगले सत्र के दौरान शेष तीन रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित किया:—

1. श्री शमशेर सिंह ढुलो
2. श्री अहमद हसन
3. श्री पी॰एल॰ पुनिया
4. श्री डी॰ राजा
5. श्री अमर शंकर साबले
6. महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया
7. श्री रामकुमार वर्मा

(दो) कि राज्य सभा, 9 मार्च, 2018 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2018 को आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए राज्य सभा के छह सदस्यों को लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सहयोजित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति के लिए निर्वाचित तथा अगले सत्र के दौरान शेष एक रिक्ति को भरने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य के नामों की सूचना भी दी:—

1. श्री प्रताप केशरी देव
2. श्री नरेश गुजराल
3. श्री मोहम्मद अली खान
4. श्री शमशेर सिंह मन्हास
5. श्री राम विचार नेताम
6. श्री ए॰के॰ सेल्वाराज

(तीन) कि राज्य सभा, 9 मार्च, 2018 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2018 को आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए राज्य सभा के

सात सदस्यों को लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति के लिए निर्वाचित तथा अगले सत्र के दौरान शेष दो रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य के नामों की सूचना भी दी:—

1. प्रो॰ एम॰वी॰ राजीव गौड़ा

2. श्री भुवनेश्वर कालिता

3. श्री श्वेत मालिक

4. श्री नारायण लाल पंचारिया

5. श्री सुखेन्दु शेखर राय

(चार) कि राज्य सभा 22 मार्च, 2018 को हुई अपनी बैठक में 15 मार्च, 2018 को लोक सभा द्वारा यथा पारित उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2018 में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

4. मंत्री द्वारा विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री थोटा नरसिम्हम, मलिकार्जुन खड़गे, वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी, पी॰ करूणाकरन, मोहम्मद सलीम, एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, केसिनेनी श्री निवास, पी॰के॰ कुनहालिकुट्टी, राममोहन नायडू किंजरापु, जैदेव गल्ला, असादुद्दीन ओवैसी, पी॰वी॰ मिदून रेड्डी और जोस के॰ मणि से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। जब तक सभा

में शांति नहीं है, मैं उन 50 सदस्यों—जिन्हें अपने समनुदिष्ट स्थानों पर खड़ा होना है, की गिनती करने की स्थिति में नहीं होउंगी ताकि मैं यह निर्धारण कर सकूं कि अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।''

चूंकि सभा में शांति नहीं थी, इसलिए सूचनाएं इसके समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.09 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 28 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—5155LS(S3)—27-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 28 मार्च, 2018/7 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या 282

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 461 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 462—480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5291—5520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मन के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मन का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

तेरहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 36	आठवां सत्र, 2001
2.	विवरण संख्या 37	बारहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

3.	विवरण संख्या 35	सातवां सत्र, 2006
4.	विवरण संख्या 24	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

5.	विवरण संख्या 33	दूसरा सत्र, 2009
6.	विवरण संख्या 28	तीसरा सत्र, 2009
7.	विवरण संख्या 28	चौथा सत्र, 2010
8.	विवरण संख्या 27	पांचवां सत्र, 2010
9.	विवरण संख्या 24	सातवां सत्र, 2011
10.	विवरण संख्या 25	आठवां सत्र, 2011
11.	विवरण संख्या 24	नौवां सत्र, 2011
12.	विवरण संख्या 23	दसवां सत्र, 2012
13.	विवरण संख्या 21	ग्यारहवां सत्र, 2012
14.	विवरण संख्या 20	बारहवां सत्र, 2012
15.	विवरण संख्या 19	तेरहवां सत्र, 2013
16.	विवरण संख्या 16	चौदहवां सत्र, 2013
17.	विवरण संख्या 15	पंद्रहवां सत्र, 2013–14

सोलहवीं लोक सभा

18.	विवरण संख्या 14	दूसरा सत्र, 2014
19.	विवरण संख्या 13	तीसरा सत्र, 2014
20.	विवरण संख्या 12	चौथा सत्र, 2015
21.	विवरण संख्या 10	पांचवां सत्र, 2015
22.	विवरण संख्या 9	छठा सत्र, 2015
23.	विवरण संख्या 7	सातवां सत्र, 2016
24.	विवरण संख्या 7	आठवां सत्र, 2016

25.	विवरण संख्या 6	नौवां सत्र, 2016
26.	विवरण संख्या 4	दसवां सत्र, 2016
27.	विवरण संख्या 4	ग्यारहवां सत्र, 2017
28.	विवरण संख्या 2	बारहवां सत्र, 2017
29.	विवरण संख्या 1	तेरहवां सत्र, 2017-18

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोक लेखा समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का निष्पादन' विषय पर 90वां प्रतिवेदन।

(2) 'प्रयोजन विशेषवाहन के अंतर्गत अति विशाल विद्युत परियोजनाएं' विषय पर 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 91वां प्रतिवेदन।

(3) 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' विषय पर 92वां प्रतिवेदन।

(4) 'भारतीय रेल में खाली भूमि का प्रबंधन' विषय पर 93वां प्रतिवेदन।

(5) 'वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के अकादमिक क्रियाकलाप का कार्यकरण' विषय पर 94वां प्रतिवेदन।

(6) 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण' विषय पर 95वां प्रतिवेदन।

(7) 'स्वापक पदार्थों का प्रबंधन' विषय पर 96वां प्रतिवेदन।

(8) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीईसी) से संबंधित 'सीमा-शुल्क पत्तनों के जरिए आयात और निर्यात व्यापार सुविधाओं का निष्पादन' विषय पर 75वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 97वां प्रतिवेदन।

(9) 'रत्न और आर-श्रृंखला हाइड्रो-कार्बन क्षेत्र' विषय पर 62वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 98वां प्रतिवेदन।

(10) 'भारतीय रेल में उप-नगरीय रेल सेवाएं' विषय पर 69वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 99वां प्रतिवेदन।

(11) 'भारतीय रेल में वाणिज्यिक प्रचार' विषय पर 70वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 100वां प्रतिवेदन।

(12) 'साझा मोबाइल अवसंरचना योजना' विषय पर 64वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 101वां प्रतिवेदन।

(13) 'भारत में आपदा तैयारी' विषय पर 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 102वां प्रतिवेदन।

5. मंत्रियों द्वारा विवरण

(1) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पोत परिविहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 247वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 253वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अुनदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 246वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 252वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से श्री सुभाष रामराव भामरे ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

"कि राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (i) के

अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री थोटा नरसिम्हम, वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी, कोनाकल्ला नारायण राव, श्रीनिवास केसिनेनी, एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, मोहम्मद सलीम, पी॰ करूणाकरन, पी॰वी॰ मिदून रेड्डी, पी॰के॰ कुनहलिकुट्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुथमसेटी श्रीनिवास राव, असादुददीन ओवैसी और जैदेव गल्ला से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। जब तक सभा में शांति नहीं है, मैं उन 50 सदस्यों—जिन्हें अपने समनुदिष्ट स्थानों पर खड़ा होना है, की गिनती करने की स्थिति में नहीं होउंगी ताकि मैं यह निर्धारण कर सकूं कि अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।''

चूंकि सभा में शांति नहीं थी, इसलिए सूचनाएं इसके समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.10 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 2 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—5183LS(S3)—28-03-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या 283

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न 481 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 482—500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5521—5750 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-2018 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, पंजाब, एसएएस नगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, पंजाब, एसएएस नगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) महिला सामाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला सामाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गोवा, एल्टो पोर्वोरिम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) ईओयू और सेज के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईओयू और सेज के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत इलायची (अनुज्ञापन एवं विपणन) संशोधन नियम, 2018 जो 9 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 215(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) मैसर्स आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर, जमशेदपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैसर्स आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर, जमशेदपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) मैसर्स चंदेरी डेवलपमेन्ट सोसाइटी फॉर हैण्डलूम वीवर्स समिति चंदेरी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैसर्स चंदेरी डेवलपमेन्ट सोसाइटी फॉर हैण्डलूम वीवर्स समिति चंदेरी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, जी॰बी॰ नगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, जी॰बी॰ नगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) एसईईपीजेड सेज अथॉरिटी, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसईईपीजेड सेज अथॉरिटी, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, विशाखापट्टनम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, विशाखापट्टनम के वर्ष 2016-2017 की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडीकेशंस कार्यालय, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडीकेशंस कार्यालय, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेन्ट एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट (पूर्ववर्ती दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेन्ट एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट (पूर्ववर्ती दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गैस सिलिण्डर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गैस सिलिण्डर (संशोधन) नियम, 2018 जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(36) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर, बंगलुरु के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर, बंगलुरु के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2016–2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, वारंगल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, वारंगल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, कचार के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, कचार के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 (प्रथम संशोधन) जो 11 अक्तूबर 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 2-4/2015(डीईबी-III) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 2-4/2015(डीईबी-III) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ अधिगम) दूसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 2-4/2015(डीईबी-III) में प्रकाशित हुए थे।

(74) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, हावड़ा के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, हावड़ा के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) उपर्युक्त (76) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पूर्व क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पूर्व क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) उपर्युक्त (90) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) उपर्युक्त (96) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) उपर्युक्त (98) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) उपर्युक्त (100) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) उपर्युक्त (102) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) उपर्युक्त (104) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) उपर्युक्त (106) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) उपर्युक्त (108) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(110) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 37/2018-सी॰शु॰ से 40/2018-सी॰शु॰ जो 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय सेल्युलर मोबाइल फोनों के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेम्बली, कैमरा मोड्यूल और कनेक्टरों पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) पर दी जाने वाली छूट वापिस लेना है और उन पर 10 प्रतिशत बीसीडी अधिरोपित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

*(111) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अधिसूचना सं॰ 36/2018-सी॰शु॰ जो 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त

* अपराह्न 12.03 बजे।

अधिनियम की पहली अनुसूची की धारा 8क (1) के अंतर्गत टैरिफ मद 8517 70 10 के अंतर्गत आने वाले, पापुलेटिड, लोडिड और स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बीसीडी टैरिफ दर को शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) जनजातीय कार्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 229वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 239वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.06 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी, थोटा नरसिम्हम, एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, मेकापति राज मोहन रेड्डी, पी॰वी॰ मिदून रेड्डी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी॰के॰ कुनहलिकुट्टी, श्रीनिवास केसिनेनी, राम मोहन नायडू किंजरापु, श्रीमती रेणुका बुत्ता, सर्वश्री असादुद्दीन ओवैसी और सी॰एन॰ जयदेवन से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। जब तक सभा

में शांति नहीं है, मैं उन 50 सदस्यों—जिन्हें अपने समनुदिष्ट स्थानों पर खड़ा होना है, की गिनती करने की स्थिति में नहीं होउंगी ताकि मैं यह निर्धारण कर सकूं कि अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।''

चूंकि सभा में शांति नहीं थी, इसलिए सूचनाएं इसके समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.11 बजे

6. **सदस्य द्वारा निवेदन**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में निवेदन किया।

*श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.13 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

*रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री।

MGIPMRND—5248LS(S3)—02-04-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या 284

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न 501 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 *बजे स्थगित हुई और*
अपराह्न 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 502—520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5751—5980 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 4117(अ) जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विभिन्न बाजारों (सरोजनी नगर बाजार, खान मार्केट और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इत्यादि) के उपरि आवासीय तलों के उपयोग संपरिवर्तन शुल्कों के नियतन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1053(अ) जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उप विधियां 2016 में

उपांतरण के बारे में है और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत अधिसूचित दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उप विधियां 2016 के प्रवर्तनीय भाग हैं।

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिना विधानमंडलों वाले संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल) (2018 का संख्यांक 3)—(अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां) का प्रतिवेदन।

(2) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक—संघ सरकार (सिविल) (2018 का संख्यांक 4)—(अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां) का प्रतिवेदन।

(9) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई का ज्ञापन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत शत्रु संपत्ति (संशोधन) नियम, 2018 जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 256(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) का॰आ॰ 909(अ) जो 1 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 3 के उपखंड (1) के अंतर्गत यूरिया की 45 कि॰ग्रा॰ बोरी का मूल्य नियत किया गया है।

(2) का॰आ॰ 866(अ) जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 24 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 359(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(13) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत 20 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 62 में प्रकाशित राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ तापस मंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत किसानों को प्रदान किए जा रहे कृषि उपकरणों और सामग्री की लागत और गुणवत्ता में विभेद तथा आयातित विद्युत जुताई उपकरण (पावर टिलर्स) के कारण किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं'' विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति 2017-18 (सोलहवीं लोक सभा) का 51वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया ने ''मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यकरण'' के बारे में समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 142वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.04 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्री ने 2 अप्रैल, 2018 को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.10 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री थोटा नरसिम्हम, मेकापति राज मोहन रेड्डी, वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी, पी॰वी॰ मिदून रेड्डी, राम मोहन नायडू किंजरापु, एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, श्रीनिवास केसिनेनी, पी॰ करुणाकरन, मोहम्मद सलीम, श्रीमती रेणुका बुत्ता, सर्वश्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जैदेव गल्ला, असादुद्दीन ओवैसी और सी॰एन॰ जयदेवन से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष रखने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने नियत स्थान पर खड़े रहना है ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि सभा की अनुमति है अथवा नहीं। इसलिए मैं आप सभी से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करती हूं।''

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण सूचनाएं सभा के समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.17 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 4 *अप्रैल,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—39LS(S3)—03-04-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 4 अप्रैल, 2018/14 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या 285

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न 521 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 522—540 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5981—6210 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उप-धारा (3) के अंतर्गत साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (सचिव सेवा और भर्ती की निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 9 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एसईआरबी/आरआर-सेक/01/2016 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2017, जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1534(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2017, जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2017, जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1536(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2017, जो 21 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1537(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2017, जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1584(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2017, जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1585(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2017, जो 27 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1586(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 2017, जो 27 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1587(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2017, जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1604(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 2017, जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1605(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2018, जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 197(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2018, जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 198(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मधेपुरा इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मधेपुरा इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ करुणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एस॰ सेल्वाकुमार चिन्नैयन ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-2019) संबंधी 210वां प्रतिवेदन।

(2) ओक्खी चक्रवात-मछुआरों पर इसके प्रभाव और इसके द्वारा हुई क्षति संबंधी 211वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

*(1) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री@ की ओर से विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री# ने (i) 'भगोड़े व्यापारी' के बारे में सर्वश्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, कौशल किशोर, मोहम्मद सलीम और रामदास सी॰ तडस, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3198 के संबंध में 14 मार्च, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री; तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 303वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) रेल मंत्री; तथा कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'एमटीएनएल में बारहमासी रोजगार के लिए अनुबंध/नैमित्तिक/सफाई कर्मियों की तैनाती' विषय के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

* अपराह्न 12.07 बजे।

@ श्री एम॰जे॰ अकबर।

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह।

(5) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:—

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(5) विदेश मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् तथा प्रवासी भारतीय की भूमिका सहित भारत की मृदुल शक्ति कूटनीति' के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(6) विदेश मंत्रालय से संबंधित 'पासपोर्ट सेवा परियोजना-लक्ष्य और उपलब्धियां' के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(7) विदेश मंत्रालय से संबंधित 'प्रवासी भारतीय विवाह से संबंधित समस्याएं: प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा त्याग दी गई भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता/पुनर्वास प्रदान करने के लिए योजना' के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.08 बजे

7. सांविधिक संकल्प—स्वीकृत

श्री अरुण जेटली की ओर से श्री शिव प्रताप शुक्ला ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अनुसरण में, यह सभा एतद्—द्वारा 2 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं॰ 36/2018 सीमा-शुल्क जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ मद 8517 70 10 के अंतर्गत आने वाले पोपुलेटेड, लोडेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) को शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना है, का अनुमोदन करती है।''

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री मेकापति राज मोहन रेड्डी, एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी, पी॰वी॰ मिदून रेड्डी, थोटा नरसिम्हम, श्रीनिवास केसिनेनी, मोहम्मद सलीम, पी॰ करुणाकरन, राम मोहन नायडू किंजरापु, श्रीमती रेणुका बुत्ता और श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष रखने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने नियत स्थान पर खड़े रहना है ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि सभा की अनुमति है अथवा नहीं। इसलिए मैं आप सभी से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करती हूं।''

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण सूचनाएं सभा के समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.11 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 5 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—69LS(S3)—04-04-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 5 अप्रैल, 2018/15 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या 286

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न 541 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 542—560 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6211—6440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (नलिकाकार प्रतिदीप्त लैंप के लेबल पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टताएं और रीति) विनियम, 2018 जो 9 मार्च, 2018 के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ बीईई/एसएण्डएल/टीएफएल/ 63/2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम, 2018 जो 13 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 168(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाणिज्यिक भवनों या स्थापनाओं की ऊर्जा लेखा-परीक्षा कराने की रीति और समय अंतराल विनियम, 2018 जो 21 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ बी/डीसी/ईए-2017 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 2017 जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 721(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) की मद सं॰ (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3594(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 3718(अ) जो 23 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 3807(अ) जो 5 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत घोषित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 3808(अ) जो 5 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत घोषित किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 3866(अ) जो 12 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 3867(अ) जो 12 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को उसमें उल्लिखित खंडों के विकास और रख-रखाव के बारे में कृत्य का निर्वहन करने के लिए निदेशित किया गया है।

(सात) का॰आ॰ 3926(अ) जो 19 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 330 के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(आठ) का॰आ॰ 3927(अ) जो 19 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 4043(अ) जो 26 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों को गुजरात राज्य में घोषित किया गया है।

(दस) का॰आ॰ 4007(अ) जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों को तमिलनाडु राज्य में घोषित किया गया है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 4008(अ) जो 22 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का॰आ॰ 06(अ) जो 2 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों को तमिलनाडु राज्य में घोषित किया गया है।

(तेरह) का॰आ॰ 88(अ) जो 5 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों को पंजाब राज्य में घोषित किया गया है।

(चौदह) का॰आ॰ 541(अ) जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों को महाराष्ट्र राज्य में घोषित किया गया है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 542(अ) जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का॰आ॰ 547(अ) जो 7 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 316क के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सत्रह) का॰आ॰ 646(अ) और का॰आ॰ 647(अ) जो 13 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित मध्य प्रदेश राज्य के नए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(अठारह) का॰आ॰ 812(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का॰आ॰ 813(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का॰आ॰ 814(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का॰आ॰ 896(अ) जो 1 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों को तमिलनाडु राज्य में घोषित किया गया है।

(बाईस) का॰आ॰ 897(अ) जो 1 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का॰आ॰ 1004(अ) जो 6 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 765 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 1028(अ) जो 9 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 3 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

अपराह्न 12.03 बजे

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1) श्री पी॰वी॰ मिदून रेड्डी 15.12.2017 से 05.01.2018

(2) श्री नेफिउ रिओ 15.12.2017 से 05.01.2018

(3)	श्री तापस पाल	17.07.2017 से 11.08.2017 15.12.2017 से 05.01.2018 29.01.2018 से 05.02.2018 और 05.03.2018 से 07.03.2018
(4)	श्री रायपति सम्बासिवा राव	05.03.2018 से 31.03.2018

5. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 73वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 74वां प्रतिवेदन।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 75वां प्रतिवेदन।

(4) आयुष मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 76वां प्रतिवेदन।

6. श्रम संबंधी स्थायी समिति का की-गई-कार्रवाई विवरण

श्री कौशलेन्द्र कुमार ने वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 31वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों /सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला श्रम संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.09 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

''माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री राम मोहन नायडू किंजरापु, एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन,

थोटा नरसिम्हम, वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी, मेकापति राज मोहन रेड्डी, श्रीनिवास केसिनेनी, पी॰वी॰ मिदून रेड्डी, पी॰ करुणाकरन, मोहम्मद सलीम, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया और मल्लिकार्जुन खड़गें से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष रखने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं उन 50 सदस्यों की गिनती नहीं कर पाऊंगी जिन्हें अपने नियत स्थान पर खड़े रहना है ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि सभा की अनुमति है अथवा नहीं। इसलिए मैं आप सभी से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करती हूं।''

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण सूचनाएं सभा के समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

अपराह्न 12.11 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 6 *अप्रैल,* 2018 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव

महासचिव

MGIPMRND—92LS(S3)—05-04-2018.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 6 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या 287

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न 561 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न संख्या 562—580 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6441—6670 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''आज सत्र का अंतिम दिन है। हमें अविश्वास प्रस्ताव भी लेना है। यदि आप उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं सभा स्थगित कर दूंगी....

....मैं अविश्वास प्रस्ताव को लेना चाहती हूं, परन्तु आप सभा चलने नहीं देना चाहते....''

सभा में व्यवस्था नहीं होने के कारण सूचनाएं सभा के समक्ष नहीं लाई जा सकीं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

4. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 16वीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

5. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 *बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

MGIPMRND—113LS(S3)—06-04-2018.